BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2022

IN THE MATTER OF:
PATESHWARI PRASAD SINGH

...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, BALRAMPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 13.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DLEHI	
2.	A COPY OF MOM DATED 18.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF MOM DATED 27.03.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF COMPLIANCE REPORTS BY THE CONCERNED DEPARTMENTS AND NEWSPAPER PUBLICATIONS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	

THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR THE D.M., BALRAMPUR
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.- 6375115224

DATE: 14.04.2025
PLACE: BALRAMPUR

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 433/2022

IN THE MATTER OF:

PATESHWARI PRASAD SINGH ...APPLICANT(s)

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH ...RESPONDENT(s)

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, BALRAMPUR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 13.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DLEHI

I, Pavan Agarwal, aged about 37 years, S/o Mr. Magan Lal Gupta posted as District Magistrate, Balrampur, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I am fully conversant with the facts of the case and I am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That the present matter pertains to District Balrampur, in which four rivers, namely Rapti, Suav, Kuwana and Besuhi

NOTATRY
H.K.Yadav
Distt. H.Q.
Balrampur
Regd. No. 43
Govt. of Uttar Pradesh

were flowing. The issue of serious damage caused to River Suav flowing in District Balrampur due to encroachment, dumping of solid waste and discharge of sewage is raised in the present O.A.

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 13.02.2025 directed the Deponent to file an action taken report with regards to the rejuvenation of Suav River and in compliance of directions issued by the Hon'ble Tribunal. The operative part of the aforementioned order is as follows:

"...9. In view of above discussed facts and circumstances, we also direct the District Magistrate, Balrampur to get sign boards fixed through concerned department at appropriate places with name of river Suav and its origin and length. We also direct the District Magistrate, Balrampur to publish notice in local newspaper prohibiting new constructions within the distance of 200 meters in municipal limit and 500 meters outside municipal limit from the edge of the Suav river till FPZ (Flood Plain Zoning) is notified to prevent future encroachments.

10. The District Magistrate, Balrampur, who is the Chairman of District Ganga Committee (DGC) and District Environment Committee (DEC) is also directed to prepare an Action Plan for rejuvenation of Suav River by involving DFO, Balrampur and also Irrigation, Panchayat, Urban

NOTATRY H.K. Yadav Govt. of Uttar Pradesh

Development Departments and other concerned stakeholders and coordinate with National Mission for Cleaning Ganga (NMCG) and seek requisite assistance in conformity with their policy and programmes for the rejuvenation of River Suav which is one of the tributaries of river Ganga.

11. The District Magistrate, Balrampur is directed to file Action Taken Report in this regard with all relevant details at least three days before the next date of hearing fixed..."

4. That in compliance of the above directions issued by the Hon'ble Tribunal, a meeting dated 18.02.2025 was convened under the chairmanship of the Deponent for the Restoration of Suav River. The following officials were present at the meeting:

i. Additional District Magistrate (Judicial), Balrampur

ii. Divisional Forest Officer, sohelwa Vanya Jeev Prabhag Balrampur

iii. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Balrampur

iv. District Panchayati Raj Officer. Balrampur

NOTATRY H.K.Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd. No. 43 Govt. of Uttar Pradesh

v. Executive Engineer, Public Works Department (Provincial Division/Construction Division), Balrampur

vi. Executive Engineer, Saryu Canal Division-1, Irrigation Department, Balrampur

vii. Executive Engineer, Construction Division, Uttar Pradesh Jal Nigam, Balrampur

viii. Deputy Commissioner, MGNREGA, Balrampur

ix. Executive Engineer, Saryu Drainage Division-2, Balrampur

x. Executive Engineer, Flood Division, Balrampur

A copy of MOM dated 18.02.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

5. That during the meeting the Deponent directed the concerned departments to take immediate steps as per the directions issued by the Tribunal and further ensure the compliance with the same at the earliest.

6. That for installation of slogan boards to promote awareness and cleanliness among the public for the conservation of the Suav River, Saryu Drainage Division-2. Balrampur was directed to take actions. Furthermore, they were directed to

NOTATRY H.K. Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd. No. 43 Govt. of Uttar Pradesh

identify the locations for the installation of large-sized hoardings/slogan boards at the earliest and necessary action be undertaken.

7. That with regard to installation of the STP as part of the river restoration project, the Deponent directed the Executive Officer, NPP/Jal Nigam, Balrampur that suitable land be identified and reported within one week, failing which the concerned officers shall be held personally liable for non-compliance with the directions of the Hon'ble NGT.

8. That for the demarcation of the Flood Plain Zone (FPZ), it was informed to the Deponent by the Executive Engineer, Saryu Drainage Division-2, that the Survey of India is conducting the survey, with approximately 5 sq. km. yet to be covered. The data will be submitted to the National Institute of Hydrology, Roorkee. Uttarakhand for the determination of the Flood Plain Zone. The Deponent directed the Saryu Drainage Division-2 that the survey be completed promptly and further action be taken without delay

9. That furthermore, the Deponent issued strict directions to the Executive Officer, NPP, Balrampur to constitute a committee and ensure the removal of garbage dumped in and around the Suav River area within the next seven days, failing which a penalty of up to 10,000 shall be Imposed.

NOTATRY H.K.Yadav Distt H.Q. Balrampur Regd No. 43 Govt. of Uttar Pradesh

10. That during the meeting, as per the directions of the Hon'ble Tribunal, It was Informed by the Deponent that no new construction activity shall be carried out within-200 meters in municipal limits and 500 meters in outside municipal limits from the edge of the suav river till FPZ is notified prevent further encroachments,

11. That furthermore, a meeting dated 27.03.2025 was held under the chairmanship of the Deponent to review the compliance of directions issued in the earlier meeting held on 18.02.2025.

A copy of MOM dated 27.03.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE-2.

12. As per compliance reports submitted by various departments, the present status report is as follows:-

i. Waste Disposal Control/ Installation of Slogan Boards:

A Detailed Project Report (DPR) has been prepared for the disposal of garbage at the dumping site located within the jurisdiction of the NPP, Balrampur. The same has been forwarded to the State Mission Director, State Mission Directorate, Swachh Bharat Mission, under the office letter no. 1408/N.P.C. (Bal)/2024-25 dated 17.03.2025. Necessary action shall be taken upon the

NOTATRY H.K.Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd No. Govt. of Uttar Pradesh

approval of the DPR. Additionally, to prevent the disposal of waste in the Suawan River, display boards have been installed by the NPP, Balrampur.

ii. Land Identification for STP Construction:

For the treatment of liquid waste, land has been provided to the Executive Engineer, Construction Division, Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban), Balrampur, through letter dated 29.03.2025 issued by the office of the NPP. Balrampur.

Under the SBM (Urban) 2.0, land has been made available for the establishment of the STP. It is also submitted that the NPP is undertaking natural filtration (in-line treatment) of drains.

iii. Flood Plain Zone Determination:
It is submitted that the survey for the demarcation of the Flood Plain Zone has been conducted by the Survey of India, and the corresponding dam data has been sent to the National Institute of Hydrology, Roorkee, Uttarakhand. Furthermore, an estimate for the cleaning and removal of water hyacinth from the Suawan River has been prepared and forwarded to senior authorities for approval.

iv. Natural Filtration System & Water Quality Monitoring:

NOTATRY
H.K.Yadav
Distt. H.Q
Balrampur
Regd No. 43
Pradesh

approval of the DPR. Additionally, to prevent the disposal of waste in the Suawan River, display boards have been installed by the NPP, Balrampur.

ii. Land Identification for STP Construction:

For the treatment of liquid waste, land has been provided to the Executive Engineer, Construction Division, Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban), Balrampur, through letter dated 29.03.2025 issued by the office of the NPP. Balrampur.

Under the SBM (Urban) 2.0, land has been made available for the establishment of the STP. It is also submitted that the NPP is undertaking natural filtration (in-line treatment) of drains.

iii. Flood Plain Zone Determination:

It is submitted that the survey for the demarcation of the Flood Plain Zone has been conducted by the Survey of India, and the corresponding dam data has been sent to the National Institute of Hydrology, Roorkee, Uttarakhand. Furthermore, an estimate for the cleaning and removal of water hyacinth from the Suawan River has been prepared and forwarded to senior authorities for approval.

iv. Natural Filtration System & Water Quality Monitoring:

Under the Swachh Bharat Mission 2.0 Programme, the NPP, Balrampur, has submitted a proposal regarding the land for construction of the STP and I&D (Interceptor and Diversion) works. The process of identification and demarcation of the land is being carried out by the concerned Assistant Engineer and Junior Engineer of the division through personal coordination with Tehsil Sadar, Balrampur.

v. Afforestation Along Riverbanks:

Pursuant to the directions for plantation along both embankments of the Suawan River by the Forest Department. a survey has been conducted for plantation of approximately 5,000 saplings against the target of 38,95,400 saplings under the plantation campaign for the year 2025-26. During the survey, several locations along the Suawan River were identified, including Adar Pakar, Hasua Dol, Kaulara, near Renukanath Temple in the Suawan River area, near Suawan Bridge at Khamaua Village, and certain locations in the urban area identified for Miyawaki plantation.

Out of the two identified sites in Village Khamaua under Gram Sabha Vishunapur, plantation work has been carried out near Suawan Bridge at Khamaun Village.

NOTATRY H.K.Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd No. 43 Govt. of Uttar Pradesh

vi. Publication in local Newspaper:

It is further submitted that, in compliance with Para-9 of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, a press release was issued by the District Magistrate, Balrampur, on 09.04.2025, which was published in local newspapers. The press release informed the general public that any unauthorized construction within a distance of 200 meters in urban areas and 500 meters outside urban limits from the edge of the Suav river till FPZ is notified, shall attract strict action by the District Administration.

13. That in compliance of the directions issued by the Hon'ble Tribunal and the Deponent, the departments have duly submitted their compliance reports. Furthermore, the Deponent has ensured the publication of notice in local newspaper prohibiting new constructions within the distance of 200 meters in municipal limit and 500 meters outside municipal limit from the edge of the Suav river till FPZ is notified to prevent future encroachments.

A copy of compliance reports submitted by the concerned departments and newspaper publications are annexed herewith and marked as ANNEXURE-3.

NOTATRY H.K. Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd. No. 43 13.3.2011 Govt. of Uttar Pradesh

14. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

15. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTATRY
H.K.Yadav
Distt. H.Q.
Balrampur
Govt. of Uttar Pradesh

VERIFICATION

Verified at Balrampur on this 14th day of April 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 15 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Solemony affirmed Oath before me Sri Pavan Agarwal the Distt. H.Q.-Balrampur which has been identified by Sri H. K. Yadav Adv. known to the personally contents explaine to the deponent he admitted them to be true.
Sl. No. 534
Date 14/4/2025

Hari Kant Yadav
NOTARY ADVOCATE
Distt. H.Q. Balrampur

ANNEXURE-1

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन न0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में आयोजित VC के माध्यम से दिए गऐ निर्देशो के कम में दिनांक 18.02.2025 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न सुवांव नदी के जीर्णोद्धार हेतु जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन न0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के कम में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सुवांव नदी के जीर्णोद्धार हेतु जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार, बलरामपुर में दिनांक 18.02.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे आहूत की गयी। जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे–

1. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बलरामपुर।
2. क्षेत्रीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बस्ती।
3. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर।
5. अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, बलरामपुर।
6. अधिशाषी अभियंता सरयू नहर खण्ड–1 सिचाई विभाग, बलरामपुर।
7. अधिशाषी अभियंता निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम बलरामपुर।
8. उपायुक्त मनरेगा, बलरामपुर।
9. अधिशाषी अभियंता सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर।
10. अधिशाषी अभियंता बाढ खण्ड, बलरामपुर।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करतें हुए सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया–

- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा दिये गये निर्देश के कम में जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा सुआवं नदी को बचाने एवं जनमानस में नदी के प्रति जागरूकता बढाने व साफसफाई का स्लोगन बोर्ड लगाने हेतु अधिशाषी अधिकारी सरयू ड्रेनेज खण्ड–2,बलरामपुर को निर्देशित किया गया साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि शीघ्रअतिशीघ्र स्थानों का चिन्हिकरण कर बडें–बडें आकार के होर्डिंग/स्लोगन बोर्ड लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

  (कार्यवाही– सरयू ड्रेनेज खण्ड–2,बलरामपुर)

- बैठक में सुआंव नदी जीर्णोद्धार हेतु नदी पर बनने STP लगवाये जाने के लिए भूमि के चिन्हीकरण पर चर्चा की गयी जिसपर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद व जल निगम, बलरामपुर द्वारा अवगत कराया कि STP निमार्ण हेतु भूमि का निरीक्षण कर लिया गया है परन्तु क्षेत्र के लेखपाल द्वारा निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि प्रस्तावित भूमि विवादित है जिसके कारण अधिशाषी अधिकारी द्वारा पुनः STP लगवाये जाने हेतु अन्य भूमि देखी जा रही है। तदानुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्देषित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर भूमि का चिन्हीकरण कर अवगत कराये अन्यथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेशों का अनुपालन ना किये जाने कि स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होगे।

  (कार्यवाही– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/जल निगम बलरामपुर)

- बैठक में मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा सुआवं नदी के फ्लड प्लेन जोन (Flood Plain Zone) निर्धारण करने बावत दिये गये निर्देश के कम में अधिशाषी अधिकारी सरयू ड्रेनेज खण्ड–2,बलरामपुर द्वारा अवगत कराया

NOTATRY H.K. Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd. No. 45 2014 Govt. of Uttar Pradesh

कि सर्वे आफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है जिसमें लगभग 5 किमी0 इस्क्वाइर का सर्वे कार्य अभी बाकी, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा। सर्वे के उपरान्त उसकी डेम डाटा को नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी रूड़की, उत्तराखण्ड को प्रेषित कर फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण का कार्य कराया जायेगा। तद्नुसार जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा शीघ्र कार्यवाही पुर्ण करने तथा फ्लड प्लेन जोन निर्धारण हेतु निर्देशित किया। (कार्यवाही– सरयू ड्रेनेज खण्ड–2,बलरामपुर)

- जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा सुआवं नदी में क्षेत्र में कूडा कचरा फेके जाने हेतु अधिशापी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलरामपुर को कठोर शब्दों में निर्देश दिये गये कि कमेटी बनाकर अगले सात दिवस में जगह–जगह फेके गयें कूडें–कचरें की सफाई सुनिश्चित कराये अन्यथा की स्थित में अधिशापी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलरामपुर पर 10,000.00 रूपये तक जुर्माना लगाया जायेगा। प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी (जिला गंगा समिति सदस्य सचिव) के स्तर से बलरामपुर शहरी क्षेत्र के सुआंव नदी में जल कुम्भी तथा झाड़–झंखार की साफ सफाई हेतु एक कमेटी बनाकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गयें। (कार्यवाही– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलरामपुर, प्रभागीय वनाधिकारी बलरामपुर)

- बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन न0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह व उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश के कम में सुवांव नदी के निर्धारित फ्लड प्लेन जोन के नगरीय क्षेत्र में 50–50 मी0 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 100–100 मी0 में किस भी प्रकार के निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के उपरान्त ही किये जायेगें।
(कार्यवाही– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/जल निगम बलरामपुर)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

प्रभागीय वनाधिकारी,
सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग,
बलरामपुर

NOTATRY
H.K.Yadav
Distt. H.Q.
Balrampur
Regd. No. 43
Govt. of Uttar Pradesh

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर।

पत्रांक–3036/29-1, दिनांक 22/8 2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर।
2– मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
3– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बलरामपुर।
4– क्षेत्रीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बस्ती।
5–अधिशापी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।
6– जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर।
7–अधिशापी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, बलरामपुर।
8–अधिशापी अभियंता सरयू नहर खण्ड–1 सिंचाई विभाग, बलरामपुर।

9–अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम बलरामपुर।

10–उपायुक्त मनरेगा, बलरामपुर।

11–अधिशासी अभियंता सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर।

12–अधिशासी अभियंता बाढ खण्ड, बलरामपुर।ल

प्रभागीय वनाधिकारी,
सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग,
बलरामपुर।

NOTATRY
H.K.Yadav
Distt. H.Q
Balrampur
Govt. of Uttar Pradesh

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर के कार्यालय पत्रांक 3036/29–1 दिनांक 22.02.2025 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 18.02.2025 को सम्पन्न सुआव नदी के जीर्णोद्धार हेतु जिला गंगा समिति की बैठक की जारी कार्यवृत्त निर्गत किया गया था, जिसका मुख्य अंश निम्नानुसार है:–

"बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश के क्रम में सुआंव नदी के निर्धारित फ्लड प्लेन जोन के नगरीय क्षेत्र में 50–50 मी0 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 100–100 मी0 में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के उपरान्त ही किये जायेंगे। उक्त कार्यवृत्त को निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है:–"

"मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश के कम में सुआंव नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारित होने तक सुआंव नदी के किनारे से नगरीय क्षेत्र में 200 मीटर तथा नगरीय क्षेत्र के बाहर 500 मीटर तक नवनिर्माण न कराया जाये।"

(पवन अग्रवाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति
बलरामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर।

संख्याः 07 /एल0वी0सी0(कार्यवृत्त–संशोधित)/2025 दिनांक 09 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग बलरामपुर।
3. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बलरामपुर।
4. अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी बलरामपुर।
6. अधिशापी अभियन्ता, लो0नि0वि0, प्रा0ख0/नि0ख0, बलरामपुर।
7. अधिशापी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–1, बलरामपुर।
8. अधिशापी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जल निगम, बलरामपुर।
9. उपायुक्त मनरेगा, बलरामपुर।
10. अधिशापी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर।
11. अधिशापी अभियन्ता, बाढ खण्ड, बलरामपुर।

NOTATRY H.K. Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd. No. 43 Govt. of Uttar Pradesh

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला गंगा समिति
बलरामपुर।

ANNEXURE-2

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन न0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिए गये निर्देशो के कम में दिनांक 27.03.2025 को जिलाधिकारी, महोदय बलरामपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न सुवांव नदी के जीर्णोद्धार हेतु जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सुवांव नदी के जीर्णोद्धार हेतु जिला गंगा समिति की बैठक आहूत की गयी। दिनांक 18.02.2025 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गयी। बैठक में, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बलरामपुर, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, बलरामपुर, अधिशाषी अभियंता सरयू नहर खण्ड–1 सिचाई विभाग, बलरामपुर, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती, अधिशाषी अभियंता निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम बलरामपुर, अधिशाषी अभियंता सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर, अधिशाषी अभियंता बाढ खण्ड, बलरामपुर आदि अधिकारी उपस्थित रहें।

1– सुआवं नदी क्षेत्र में कूडा कचरा फेके गये स्थलों का चिन्हिकरण कर उस स्थान पर कूडा फेकने हेतु प्रतिबन्धित करते हुए कूडा न फेकने सम्बन्धी चेतावनी बोर्ड लगाये जाने हेतु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलरामपुर को पिछली बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया था परन्तु उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं कि गई जिस पर जिलाधिकारी बलरामपुर ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन न0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह व उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश का अनुपालन न किए जाने की दशा में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलरामपुर पर पेनाल्टी लगाये जाने हेतु निर्देशित किया एवं साथ ही कूडा फेकने पर रोक लगाते हुए सम्बन्धी चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलरामपुर)

2–दिनांक 18.02.2025 को बैठक में सुआंव नदी जीर्णोद्धार हेतु नदी पर बनने वाले STP लगवाये जाने के लिए भूमि के चिन्हीकरण/पैमाईश की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश अधिशाषी अभियन्ता जल निगम बलरामपुर को दिये गये थे जिसपर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद व जल निगम, बलरामपुर द्वारा अवगत कराया कि STP निर्माण हेतु भूमि का निरीक्षण लेखपाल द्वारा कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। तद्‌क्रम में जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा अधिशाषी अभियंन्ता जल निगम बलरामपुर को निर्देशित किया गया कि केवल पत्राचार का दायित्वो से विमुख प्रकरण की महत्वता के दृष्टिगत स्वंय संज्ञान लेते हुए तत्काल STP लगवाये जाने के लिए भूमि के चिन्हीकरण/पैमाईश की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/जल निगम बलरामपुर)

3–बैठक में मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा सुआवं नदी के फ्लड प्लेन जोन (Flood Plain Zone) निर्धारण करने बावत् दिये गये निर्देश के कम में अधिशाषी अधिकारी सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर ने अवगत कराया कि सर्वे आफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण कर उसका डेम डाटा नेशनल इन्स्ट्रीट्यूट आफ हाइड्रोलाजी रूड़की, उत्तराखण्ड को प्रेषित कर दिया गया है तथा साथ ही अधिशाषी अधिकारी द्वारा विभागीय एन0ओ0डी0 महोदय से मुलाकात में अवगत कराया कि फ्लड मोडलिगं का कार्य भी एन0आई0एच0 द्वारा कराया जायेगा। तदानुसार जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यवाही पुर्ण करने तथा सुआवं नदी क्षेत्र में जल कुम्भी साफ सफाई का कार्य अपने विभागीय स्तर से पूर्ण करनें का निर्देश दिया।

(कार्यवाही– सरयू ड्रेनेज खण्ड–2,बलरामपुर)

NOTATRY H.K. Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd. No. 43 Govt. of Uttar Pradesh

4– जिलाधिकारी,बलरामपुर द्वारा निर्देशित किया गया कि सुंआंव नदी की साफ सफाई तथा उसकी गुणवत्ता बनाये रखने के लिए नदी में एक स्थान पर प्राकृतिक निस्पंदन विधि (Natural filtration method) को स्थापित करें तथा साथ ही नदी के पानी की गुणवत्ता एवं जैव रासायनिक आक्सीजन मांग (Biochemical Oxygen Demand) की जांच मुख्य धारा से किए जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– सरयू ड्रेनेज खण्ड–2,बलरामपुर)
(जल निगम बलरामपुर)

5–सुआंव नदी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा नदी की दोनों पटरियों पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया, जिसके कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया वृक्षारोपण हेतु सर्वे कर लिया गया है सर्वे के दौरान ग्राम सभा विशुनापुर के गाम खमौआ में दो जगहों को चिन्हित किया जिसमें लगभग 2000 पौधे रोपित किये जा सकते है एवं नगरीय क्षेत्र में कुछ जगहो पर सघन वन (मियावाकी प्लानटेशन) का चिन्हीकरण किंया गया है। उक्त के कम में जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा निर्देशित किया गया वृक्षारोपण के लिए छोटे–छोटे कई जगह और भी चिन्हित की जाये साथ ही नदी किनारे किसानो की व्यक्तिगत भूमि पर भी किसानों के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हुए वृक्षारोपण हेतु जागरूक किया जाय।

(कार्यवाही– वन विभाग, बलरामपुर)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

प्रभागीय वनाधिकारी,
सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग,
बलरामपुर

NOTATRY H.K.Yadav Distt. H.Q. Balrampur Regd. No. 43 Govt. of Uttar Pradesh

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर।

पत्रांक– 3670/29–1, दिनांक 29/7/2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
2. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बलरामपुर।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बस्ती।
4. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, बलरामपुर।
6. अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, बलरामपुर।
7. अधिशाषी अभियंता सरयू नहर खण्ड–1 सिचाई विभाग, बलरामपुर।
8. अधिशाषी अभियंता निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम बलरामपुर।
9. उपायुक्त मनरेगा, बलरामपुर।
10. अधिशाषी अभियंता सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर।
11. अधिशाषी अभियंता बाढ खण्ड, बलरामपुर।

प्रभागीय वनाधिकारी,
सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग,
बलरामपुर

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

247

पत्रांक– 47 /न0पा0परि0(बल0)/2025–26 दिनांक 09.04.2025

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास अनुभाग–5
लखनऊ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–5 संख्या–एन0जी0टी0–75/नौ–5–2025–18रिट/2024 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के मुख्य अंश निम्नवत हैं:–

"---- 11. The District Magistrate, Balrampur is directed to file Action Taken Report in this regard with all relevant details at least three days before the next date of hearing fixed.

12. List on 15.04.2025 for further consideration.

13. In view of the facts and circumstance of the case, we consider personal appearance of the Secretary, Department of Irrigation, and the Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, the District Magistrate, Balrampur and representative of Survey of India, Dehradun on the next date of hearing to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly, they are directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record.----"

उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर के पत्रांक 3630/29–1 दिनांक 29.03.2025 जिसके अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–433/2022, पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में दिए गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.03.2025 को जिलाधिकारी, महोदय बलरामपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न सुवांव नदी के जीर्णोद्वार हेतु जिला गंगा समिति की बैठक की कार्यवृत्त में दिये गये बिन्दु की अनुपालन आख्या निम्नवत है:–

क्र0	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	सुआंव नदी क्षेत्र में कूड़ा कचरा फेंके गये स्थलों का चिन्हिकरण कर उस स्थान पर कूड़ा फेकने हेतु प्रतिबन्धित करते हुए कूड़ा न फेकने सम्बन्धी चेतावनी बोर्ड लगाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलरामपुर को पिछली बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया था परन्तु उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नही कि गई जिस पर जिलाधिकारी बलरामपुर ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–433/2022, पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश का अनुपालन न किए जाने की दशा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलरामपुर पर पेनाल्टी लगाये जाने हेतु निर्देशित किया एवं साथ ही कूड़ा फेकने पर रोक लगाते हुए सम्बन्धी चेतावनी बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर)**	नगर पालिका परिषद बलरामपुर में स्थित डम्पिंग कूड़ा के निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 का गठन किया गया है। जिसको अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक–1408/न0पा0परि0(बल0)/2024–25 दिनांक 17.03.2025 राज्य मिशन निदेशक, राज्य मिशन निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन को प्रेषित किया गया है। डी0पी0आर0 स्वीकृत होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी तथा सुवांव नदी में कूड़ा–करकट न डाला जाये इसके लिए नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा डिस्पले बोर्ड स्थापित किया गया है। **(फोटोग्राफ संलग्न)** माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। अतः नगर पालिका परिषद, बलरामपुर पर पेनाल्टी न लगाया जाये।
2	दिनांक 18.02.2025 को बैठक में सुआंव नदी जीर्णोद्धार हेतु नदी पर बनने वाले STP लगवाये जाने के लिए भूमि के चिन्हीकरण/पैमाईश की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम बलरामपुर को दिये गये थे जिस पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व जल निगम, बलरामपुर द्वारा अवगत कराया कि STP निर्माण हेतु भूमि का निरीक्षण लेखपाल द्वारा कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। तद्क्रम में जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम बलरामपुर को निर्देशित किया गया कि केवल पत्राचार का दायित्वो से विमुख प्रकरण की महत्वता के दृष्टिगत स्वयं संज्ञान लेते हुए तत्काल लगवाये जाने के लिए भूमि के चिन्हीकरण/पैमाईश की कार्यवाही सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर)**	तरल अपशिष्ट के उपचार हेतु कार्यालय नगर पालिका परिषद बलरामपुर के पत्र संख्या–1503/न0पा0परि0(बल0)/2024–25 दिनांक 29.03.2025 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) बलरामपुर को भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। एस.बी.एम (नगरीय) 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.टी.पी. हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद द्वारा नाली की नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस (इन लाइन ट्रीटमेन्ट) किया जा रहा है।

09.04.2025

3	बैठक में मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा सुआंव नदी के फ्लड प्लेन जोन (Flood Plain Zone) निर्धारण करने बाबत दिये गये निर्देश के क्रम में अधिशासी अधिकारी सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर ने अवगत कराया कि सर्वे आफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण कर उसका डेम डाटा नेशनल इन्स्ट्रीट्यूट आफ हाइड्रोलोजी रूड़की, उत्तराखण्ड को प्रेषित कर दिया गया है तथा साथ ही अधिशासी अधिकारी द्वारा विभागीय एच0ओ0डी0 महोदय से मुलाकात में अवगत कराया गया कि फ्लड मोडलिंग का कार्य भी एन0आई0एच0 द्वारा कराया जायेगा। तदानुसार जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराने तथा सुआंव नदी क्षेत्र में जल कुम्भी साफ सफाई का कार्य अपने विभागीय स्तर से पूर्ण करने का निर्देश दिया। **(कार्यवाही–सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर)**	अवगत कराना है कि फ्लड प्लेन जोन निर्धारण हेतु सार्वे ऑफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण कर उसका डेम डाटा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रूड़की, उत्तराखण्ड को प्रेषित कर दिया गया है एवं सुवांव नदी में जलकुम्भी की साफ सफाई हेतु उसका प्राक्कलन तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। **(पत्र की छायाप्रति संलग्न)**
4	जिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा निर्देशित किया गया कि सुआंव नदी की साफ सफाई तथा उसकी गुणवत्ता बनाये रखने के लिए नदी में एक स्थान पर प्राकृतिक निस्पंदन विधि (Natural Filtration method) को स्थापित करें तथा साथ ही नदी के पानी की गुणवत्ता एवं जैव रासायनिक आक्सीजन मांग (Biochemical Oxygen Demand) की जांच मुख्य धारा से किए जाना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर/जल निगम बलरामपुर)**	स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कार्यक्रम के अर्न्तगत STP निर्माण एवं आई0एन्ड डी0 वर्क इत्यादि कार्य हेतु नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा भूमिका प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है भूमि चिन्हांकन एवं पैमाईश की प्रकिया खण्डीय सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर द्वारा तहसील सदर बलरामपुर के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क कर करायी जा रही है। **(पत्र की छायाप्रति संलग्न)**
5	सुआंव नदी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा नदी की दोनो पटरियों पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया, जिसके कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया वृक्षारोपण हेतु सर्वे कर लिया गया है सर्वे के दौरान ग्राम सभा विशुनापुर के ग्राम खमौआ में दो जगहों को चिन्हित किया जिसमें लगभग 2000 पौधे रोपित किये जा सकते हैं एवं नगरीय क्षेत्र में कुछ जगहों पर संघन वन (मियावाकी प्लानटेशन) का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त के कम में जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा निर्देशित किया गया वृक्षारोपण के लिए छोटे–छोटे कई जगह और भी चिन्हित की जाये साथ ही नदी किनारे किसानो की व्यक्तिगत भूमि पर भी किसानो के माध्यम से वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हुए वृक्षारोपण हेतु जागरूक किया जाय। **(कार्यवाही–वन विभाग, बलरामपुर)**	सुआंव नदी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा नदी की दोनों पटरियों पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देष दिया गया, जिसके क्रम में वन विभाग को वृक्षारोपण अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2025–26 में लगभग 38,95,400 पौधो के सापेक्ष लगभग 5000 पौधों के वृक्षारोपण हेतु सर्वे कर लिया गया है सर्वे के दौरान सुआव नदी किनारे पर कई जगहों को जों निम्न प्रकार है अडार पाकर, हसुआ डोल, कौलारा, रेणुकानाथ मंन्दिर के पास सुआव नदी क्षेत्र में, सुआव पुल खमौआ गावं के पास एवं नगरीय क्षेत्र में मियावाकी वृक्षारोपण हेतु चिन्हित किया गया है चिन्हित स्थलों में ग्राम सभा विषुनापुर के ग्राम खमौआ में दो जगहों में से सुआव पुल खमौआ गावं के पास वृक्षारोपण कराया गया। **(फोटोग्राफ संलग्न)**

साथ में यह भी अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश प्रस्तर–9 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर द्वारा प्रेस विज्ञप्ति दि0–09.04.2025 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिसमें जनमानस को सुआंव नदी के नगरीय क्षेत्रो में 200 मी0 तथा नगर क्षेत्र के बाहर 500 मी0 की दूरी तक अवैध निर्माण किये जाने पर उक्त के विरूद्ध जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्यवाही प्रकृत की जायेगी। **(संलग्न है)**

अतः अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

<u>संलग्नकः</u> यथोपरि।

अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–7, लखनऊ।
2. निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
4. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय, बलरामपुर।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

कार्यालय आदेश नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

दिनांक 04.06.2025

पत्रांक– 23 /न0पा0परि0(बल0)/2025–26

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास अनुभाग–5
लखनऊ।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–5 संख्या–एन0जी0टी0–75/नौ–5–2025–18रिट/2024 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के मुख्य अंश निम्नवत हैं:–

"---- 11. The District Magistrate, Balrampur is directed to file Action Taken Report in this regard with all relevant details at least three days before the next date of hearing fixed.

12. List on 15.04.2025 for further consideration.

13. In view of the facts and circumstance of the case, we consider personal appearance of the Secretary, Department of Irrigation, and the Secretary, Urban Development Department, Government of Uttar Pradesh, the District Magistrate, Balrampur and representative of Survey of India, Dehradun on the next date of hearing to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly, they are directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record.----"

उक्त आदेश के प्रस्तर सं0 7 निम्नवत है:–

7. We have gone through the progress report furnished by State Government regarding solid waste and sewage management and found it inadequate in view of the facts that land for infrastructure development with regard to solid and liquid waste management has still not been provided. Hence solid waste generated daily and legacy waste already dumped haphazardly unscientifically are not being treated/disposed of as per SWM Rules, 2016. The city requires minimum 02 Sewage Treatment Plants (STP) for the treatment of sewage generated but presently it is being discharged directly in the Suav river. Presently, one STP is under construction but the same is facing financial constraints and there is no planning/proposal for construction of second STP required for treatment of remaining sewage generated in the city. These acts of omission/commission on the part of Urban Development Department constitutes serious violations of SWM Rules, 2016 due to non-treatment of solid and liquid wastes generated in the city. In these facts and circumstances, we direct Urban Development Department to file a comprehensive reply alongwith timebound Action Plan addressing management and disposal of both- solid waste and sewage in Balrampur City.

उक्त आदेश के अनुपालन में आख्या निम्नवत है:–

1– अवगत कराना है कि नगर सीमान्तर्गत मोहल्ला निबकौनी में एक अस्थायी एम0आर0एफ0 सेन्टर (क्षमता 5 टन) का निर्माण कराते हुए Manually functional किया गया है तथा नगर पालिका के समस्त वार्डो में डोर–टू–डोर सूखा तथा गीला कूड़ा अलग–अलग कलेक्शन करके निस्तारित किया जाता है। नगर पालिका में कूड़ा बीनने वाले (waste picker) द्वारा सूखे कूड़े का कलेक्शन करते हैं, जिससे काफी मात्रा में कूड़े का निस्तारण होता है। एक अन्य एम0आर0एफ0 सेन्टर के निर्माण हेतु शासन से धन आवंटित है जिसके सापेक्ष निविदा की कार्यवाही हो गयी है, कार्य प्रगति पर है। नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में कुल 32 एम0टी0 कूड़ा निकलता है जिसमें से लगभग 14.4 एम0टी0 कूड़ा गीला होता है। उक्त गीले कूड़े के निस्तारण हेतु राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0) राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा तीन स्थानो पर पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट के निमार्ण हेतु धनराशि (प्रत्येक पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट के लिए 39.88 लाख रू0) प्राप्त हुआ है। वार्ड नं0–13 अंधियारीबाग में पिट कम्पोस्टिंग प्लान्ट का निमार्ण पूर्ण हो चुका है तथा

04.06.2025

इसका संचालन दिनांक 01.03.2025 से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 02 कम्पोस्टिंग पिट तथा 01 एम0आर0एफ0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

2— तरल अपशिष्ट के उपचार हेतु कार्यालय नगर पालिका परिषद बलरामपुर के पत्र संख्या—1503/न0पा0परि0(बल0)/2024—25 दिनांक 29.03.2025 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) बलरामपुर को भूमि उपलब्ध करा दी गयी है जिसका विवरण निम्नवत है:—

क्र0 सं0	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	राजस्व ग्राम का नाम जो नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के क्षेत्रान्तर्गत है।
1	2446	0.2370	बलरामपुर देहात
2	2424ग	0.0360	बलरामपुर देहात
3	942	2.0070	विशुनीपुर

इस प्रकार एस.बी.एम (नगरीय) 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.टी.पी. हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद द्वारा नाली की नेचुरल फिल्टरेशन प्रोसेस (इन लाइन ट्रीटमेन्ट) किया जा रहा है।

3— नगर से जो प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट निकलता है उसका प्रबन्धन के लिए नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा तुलसीपुर रोड पर मेवालाल पुलिस चौकी के पास एम0आर0एफ0 सेन्टर का निर्माण हुआ था परन्तु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में Case:-CONSOLIDATION No.-17998 of 2021 (Indrajeet Tiwari Vs Dy. Director Of Consolidation,Balrampur & Ors.) पारित आदेश दिनांक 19.08.2021 के मुख्य अंश निम्नवत हैं:—

Till the next date of listing, parties shall maintain status quo as it exists today in respect of possession and also in respect of the entries in the revenue records.

उक्त वाद में पालिका द्वारा काउंटर एफिडेविट दाखिल कराया जा चुका है। अगली सुनवाई की तिथि हेतु पालिका अधिवक्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के उक्त केस में तिथि नियत करने हेतु Listing Application डाली गयी थी जिससे मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2025 को डेट फिक्स किया गया था लेकिन केस अधिक होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय में सुनवाई नही हो पायी। अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 23.04.2025 निर्धारित है।

4— नगर पालिका परिषद बलरामपुर में स्थित डम्पिंग कूड़ा के निस्तारण हेतु डी0पी0आर0 का गठन किया गया है। जिसको अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक—1408/न0पा0परि0(बल0)/2024—25 दिनांक 17.03.2025 राज्य मिशन निदेशक, राज्य मिशन निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन को प्रेषित किया गया है। डी0पी0आर0 स्वीकृत होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी तथा सुवांव नदी में कूड़ा—करकट न डाला जाये इसके लिए नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया गया है।

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

<u>संलग्नकः</u> यथोपरि।

04.04.2025
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—</u>

1. निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर—7, लखनऊ।
2. निदेशक/राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन—नगरीय, राज्य मिशन निदेशालय, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर।
4. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) महोदय, बलरामपुर।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

04.04.2025
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

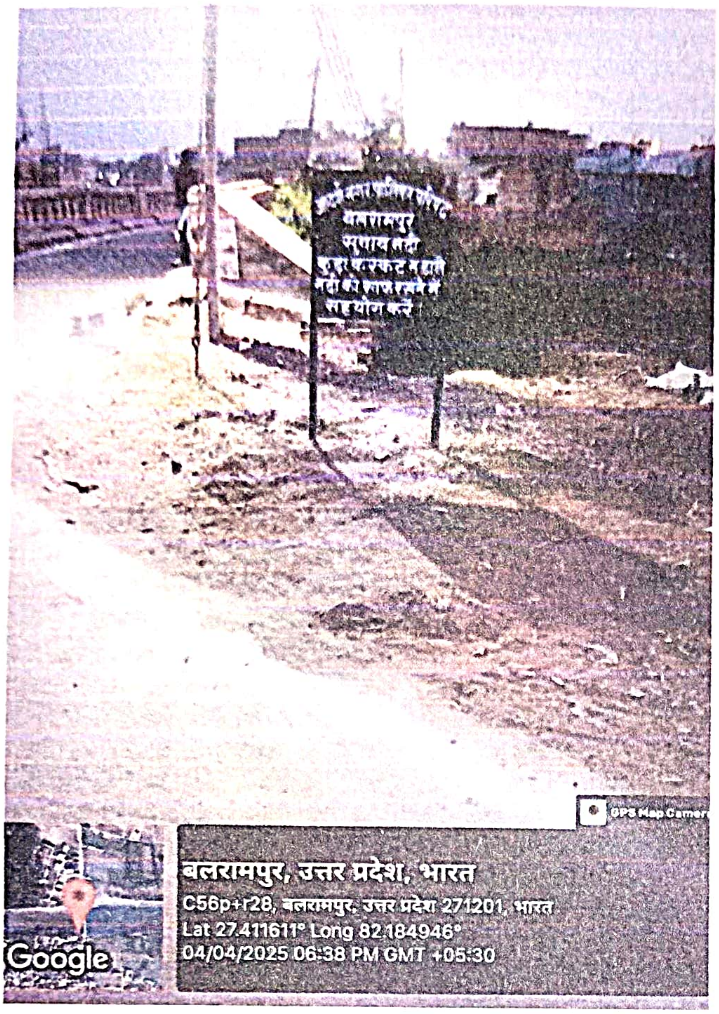
GPS Map Camera
बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
C56p+r28, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश 271201, भारत
Lat 27.411611° Long 82.184946°
04/04/2025 06:38 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Balrampur, Uttar Pradesh, भारत
C56p+43m, Chowk Road, Balrampur, Uttar Pradesh 271201
भारत
Lat 27.411025° Long 82.18505°
04/04/2025 06:37 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Dhusah, Uttar Pradesh, India
C599+gjr, Dhusah, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.418802° Long 82.169124°
04/04/2025 05:37 PM GMT +05:30
Google

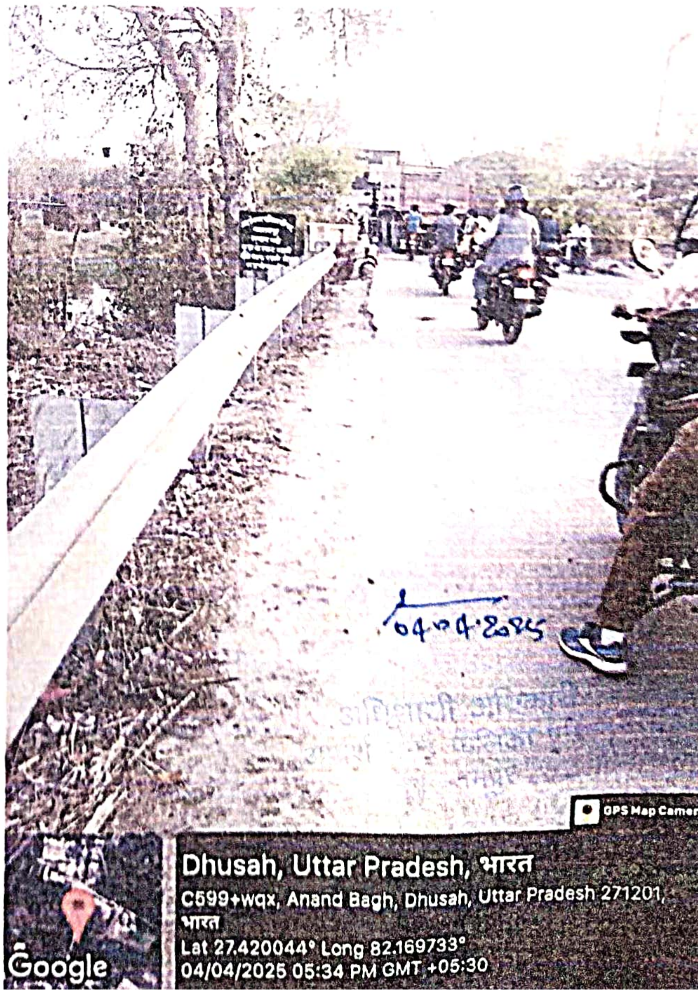
GPS Map Camera
Dhusah, Uttar Pradesh, भारत
C599+wqx, Anand Bagh, Dhusah, Uttar Pradesh 271201,
भारत
Lat 27.420044° Long 82.169733°
04/04/2025 05:34 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
C5gr+jx4, भगवतीगंज, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश 271201, भारत
Lat 27.426125° Long 82.192033°
03/04/2025 04:03 PM GMT +05:30
Google

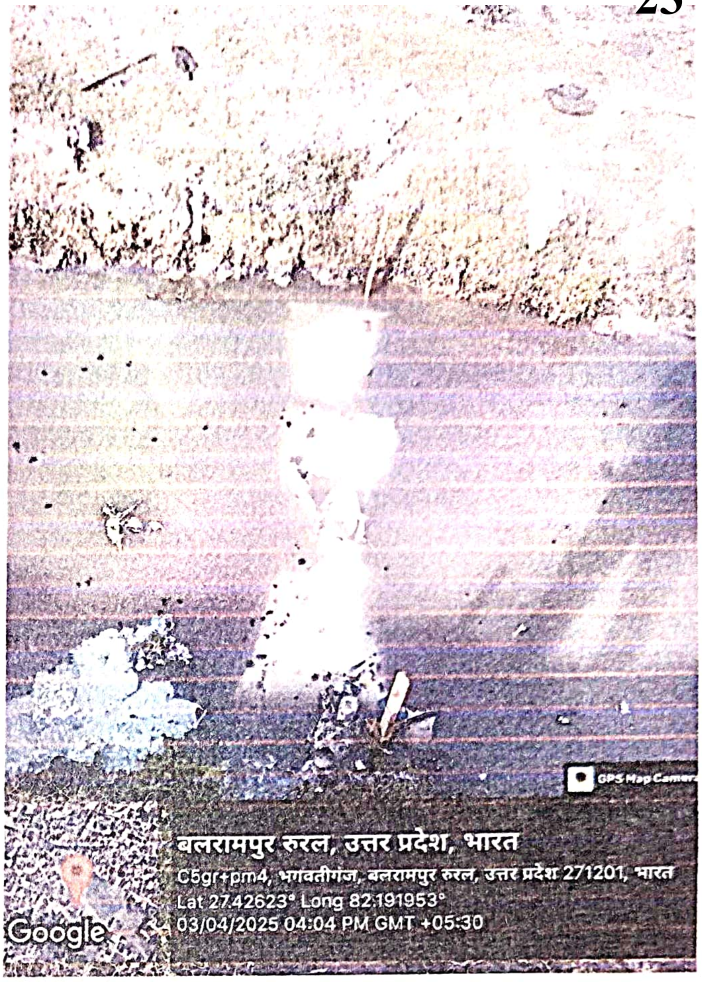
GPS Map Camera
बलरामपुर रुरल, उत्तर प्रदेश, भारत
C5gr+pm4, भगवतीगंज, बलरामपुर रुरल, उत्तर प्रदेश 271201, भारत
Lat 27.42623° Long 82.191953°
03/04/2025 04:04 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
बलरामपुर रुरल, उत्तर प्रदेश, भारत
C5gr+pm4, भगवतीगंज, बलरामपुर रुरल, उत्तर प्रदेश 271201, भारत
Lat 27.426262° Long 82.191943°
03/04/2025 04:03 PM GMT +05:30
Google

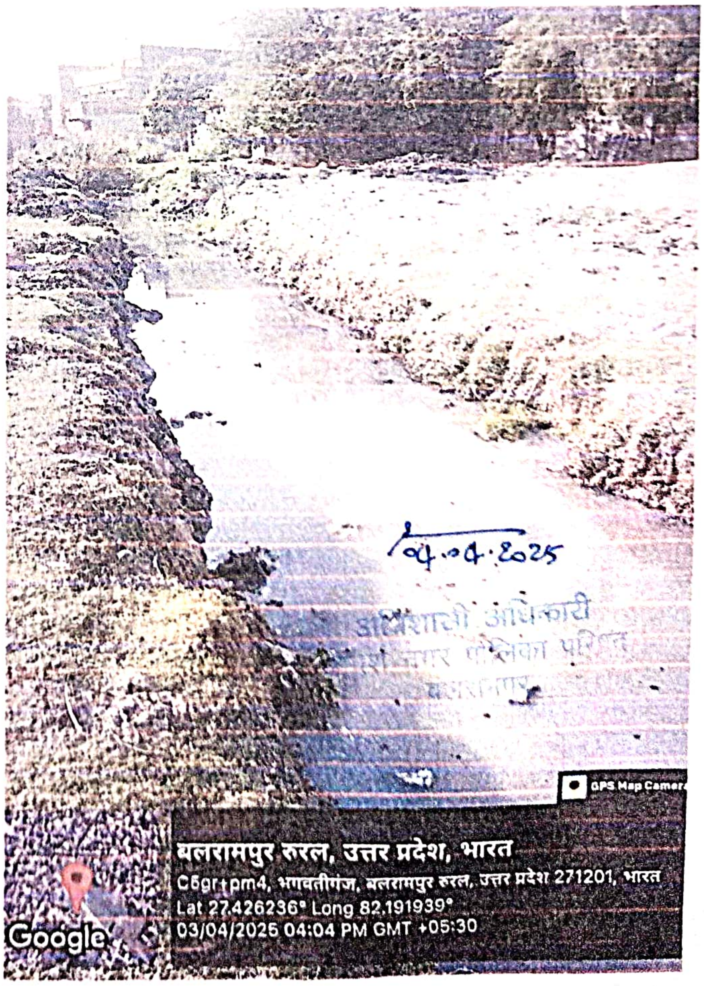
04.04.2025
अधिशासी अधिकारी
GPS Map Camera
बलरामपुर रुरल, उत्तर प्रदेश, भारत
C5gr+pm4, भगवतीगंज, बलरामपुर रुरल, उत्तर प्रदेश 271201, भारत
Lat 27.426236° Long 82.191939°
03/04/2025 04:04 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Balrampur, Uttar Pradesh, India
C5ch+qh9, Nipkauni Rd, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.421338° Long 82.179125°
05/04/2025 12:07 PM GMT +05:30
Google

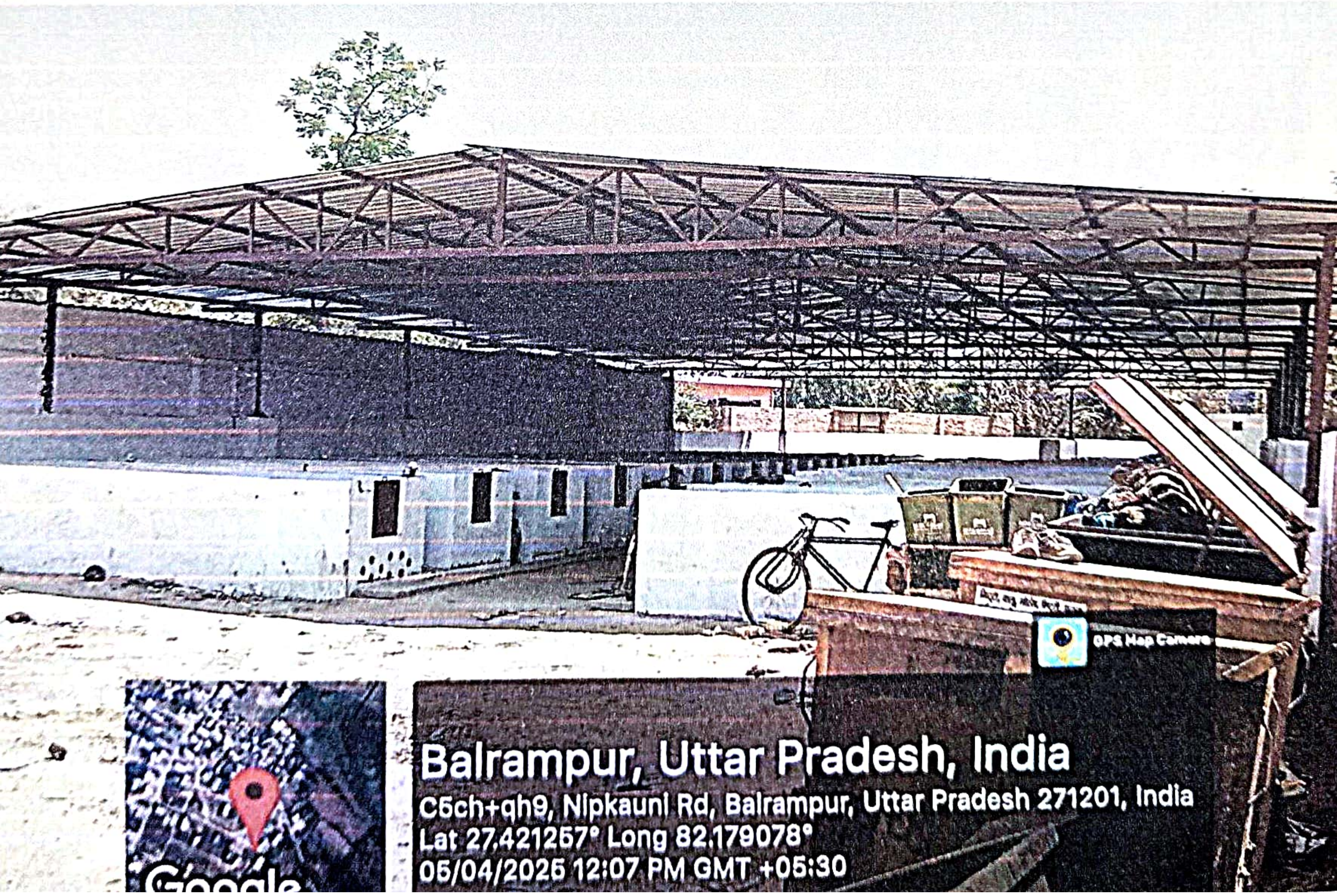
GPS Map Camera
Balrampur, Uttar Pradesh, India
C5ch+qh9, Nipkauni Rd, Balrampur, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.421257° Long 82.179078°
05/04/2025 12:07 PM GMT +05:30

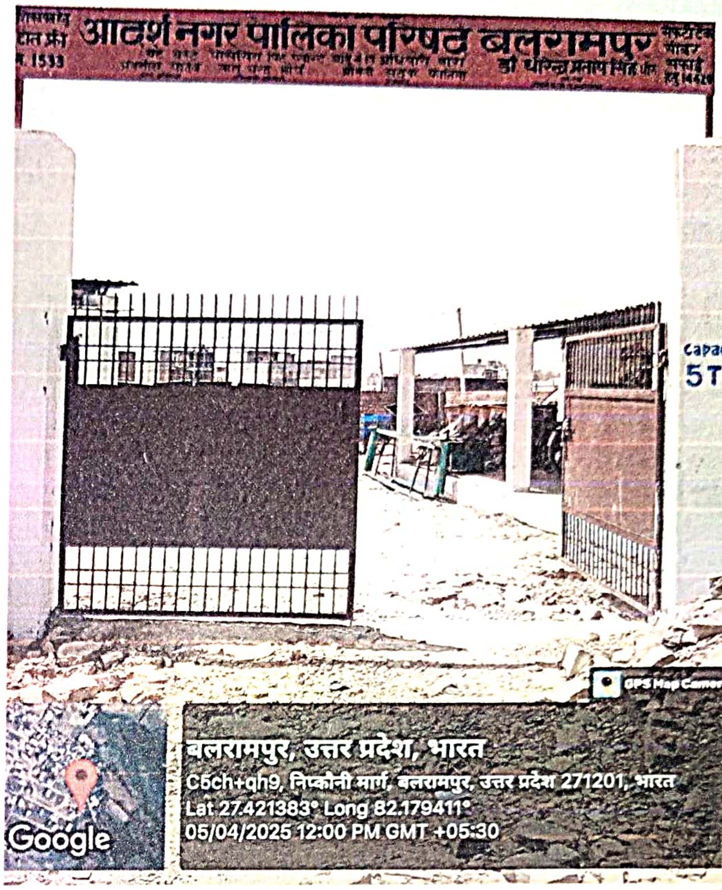

04.04.2025

अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद
बलरामपुर

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक 1503 /न0पा0परि0बल0/2024–25 दिनांक– 29.03.2025

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय)
बलरामपुर।

विषय– एस.बी.एम (नगरीय) 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में एस.टी.पी. हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्रांक–977/कार्य–114/43 दिनांक 09.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत एस.बी.एम (नगरीय) 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में एस.टी.पी. हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अनुपालन में आपको गाटा संख्या–2472 (1.8250 हे0) राजस्व ग्राम बलरामपुर देहात की भूमि अभिलेखों में देखकर दी गयी थी लेकिन आप द्वारा अन्य भूमि की मांग करने के पश्चात दिनांक 28.03.2025 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार श्री अनुपम कुमार शुक्ला (नायब तहसीलदार सदर), अधोहस्ताक्षरी, क्षेत्रीय लेखपाल तथा आपके सहायक अभियन्ता श्री वैभव कुमार एवं अवर अभियन्ता श्री अरविन्द कुमार सिंह के मौजूदगी में निम्न भूमि का चिन्हीकरण किया गया तथा निम्नलिखित भूमि उपलब्ध करायी जाती है जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)	राजस्व ग्राम का नाम जो नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के क्षेत्रान्तर्गत है।
1	2446	0.2370	बलरामपुर देहात
2	2424ग	0.0360	बलरामपुर देहात
3	942	2.0070	विशुनीपुर

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

29.03.2025
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0) महोदय, बलरामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. ग्राम समाज मोहर्रिर, को अनुपालनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

29.03.2025
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर

Received
03/04/2025

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	निर्माणाधीन एम0आर0एफ0 प्लांट की ट्रीटमेंट, क्षमता	5 MT
2	एम0आर0एफ0 प्लांट के निर्माण के लिए कार्यादेश	दि0–18.09.2024 को जारी किया गया है।
3	03 पिट कम्पोस्टिंग प्लांट के निर्माण के लिए धनराशि आवंटन का पत्र	संलग्न है।
4	निर्माणाधीन 02 पिट कम्पोस्ट प्लांट और एम0आर0एफ0 की पूर्णता तिथि/माह	पिट कम्पोस्ट प्लांट और एम0आर0एफ0 की पूर्णता तिथि/माह – **18 जून 2025**
5	नदी के किनारे कूड़ा डालने पर निर्धारित जुर्माना	जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है।
6	नालों की प्राकृतिक निस्पंदन प्रक्रिया (इन–लाइन ट्रीटमेंट) की तस्वीरें	संलग्न है।
7	नालियों की प्राकृतिक निस्पंदन प्रक्रिया (इन लाइन ट्रीटमेंट)। यह कैसे काम करती है?	नाली में सर्वप्रथम लोहे की जाली लगायी गयी है उसके बाद नाले को दो स्थानो पर बोरी का बंधा बना करके फिल्ट्रेशन किया जा रहा है।
8	पिट कम्पोस्टिंग प्लांट की कार्यप्रणाली।	700 वर्गमी0 में यह प्लांट बना हुआ है जिसमें 10 1×1 घनमी0 का 32 पिट बनाये गये है पिट की एक दीवाल जालीदार है तथा पिट के बीच में छिद्रयुक्त 10 इंच मोटी 02 प्लास्टिक की पाइप पिट में लगाया गया है तथा स्टोर रूम और केयर टेकर रूम बनाये गये है 01 कूड़ा छटाई करने का रूम बनाया गया है जो भी कूड़ा आता है उसको यहां पर छटाई (सेग्रीगेशन) किया जाता है सूखा तथा गीला कूड़ा अलग–अलग किया जाता है गीले कूड़े को छोटा–छोटा टुकड़ा करके कम्पोस्ट पिट मे डाल दिया जाता है तथा सूखे कूड़े को स्टोर रूम में अलग–अलग स्थानो पर रखा जाता है जैसे–प्लास्टिक एक स्थान पर, लोहा एक स्थान पर, गत्ता अलग, ऐसे ही सभी कूड़े को अलग–अलग रखा जाता है कम्पोस्ट पिट में डाले गये कूड़े पर पानी का छिड़काव प्रतिदिन किया जाता है जिससे यथाशीघ्र खाद्य बन सके तथा सूखे कूड़े को बाद में बिक्री कर दी जायेगी।

09.04.2025

(लाल चन्द मौर्य)
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक : 510 / न0पा0परि0(बल) / 2024–25

दिनांक– 10.09.2024

कार्यादेश

मेसर्स पवन कुमार तिवारी
ग्राम–बिजलीपुर, कटरा शंकर नगर
जनपद–बलरामपुर।

महोदय,

नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी के अधिष्ठापन एवं निर्माण कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 29.08.2024 को पत्रांक 404 / न0पा0परि0(बल0) / 2024–25 के माध्यम से ई–निविदा सूचना जारी की गयी थी, जिसकी शुद्धि पत्र संख्या–448 / न0पा0परि0(बल0) / 2024–25 दिनांक–05.09.2024 जिसकी फाइनेंसियल बिड दिनांक 18.09.2024 को खोली गयी जिसमे आपकी दरें सर्व न्यूनतम आगणन दरों से –0.100 प्रतिशत कम पर पायी गयी, जिसको मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	स्वीकृत धनराशि	समयावधि
01	स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी के अधिष्ठापन एवं निर्माण कार्य कराये जाने का कार्य।	2853390.00	2850536.61 (–0.100)%	09 माह

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 07 दिवस के अन्दर निर्धारित रू0 100/– मात्र के स्टेम्प पेपर पर अनुबन्ध करते हुए स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी के अधिष्ठापन एवं निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें, यह कार्यादेश अनुबन्ध के उपरान्त ही मान्य होगा।

18.09.24
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

पत्रांक व दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को उपरोक्त कार्य अपने देख–रेख में कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक :५१०/। /न0पा0परि0(बल)/2024–25 दिनांक–18.09.2024

कार्यादेश

मेसर्स देवेन्द्र प्रताप सिंह कान्ट्रेक्टर
सिविल लाइन, जनपद–बलरामपुर।

महोदय,

नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत 05 टी0पी0डी0 के 07 यूनिट वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 29.08.2024 को पत्रांक 404/न0पा0परि0(बल0)/2024–25 के माध्यम से ई–निविदा सूचना जारी की गयी थी, जिसकी शुद्धि पत्र संख्या–448/न0पा0परि0(बल0) /2024–25 दिनांक–05.09.2024 जिसकी फाइनेंसियल बिड दिनांक 18.09.2024 को खोली गयी जिसमे आपकी दरें सर्व न्यूनतम आगणन दरों से –0.050 प्रतिशत कम पर पायी गयी, जिसको मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	स्वीकृत धनराशि	समयावधि
01	स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत 05 टी0पी0डी0 के 07 यूनिट वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) का निर्माण कार्य।	3388910.00	3387215.00	09 माह

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप 07 दिवस के अन्दर निर्धारित रू0 100/– मात्र के स्टेम्प पेपर पर अनुबन्ध करते हुए स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत 05 टी0पी0डी0 के 07 यूनिट वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) का निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें, यह कार्यादेश अनुबन्ध के उपरान्त ही मान्य होगा।

18.09.2024
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

पत्रांक व दिनांक–तदैव।
प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता (सिविल), नगर पालिका परिषद, बलरामपुर को उपरोक्त कार्य अपने देख–रेख में कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0)
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0।

सेवा में,

संबंधित अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0। (सारिणी के अनुसार)

संख्या–पी.एम.यू./ 11617 /427(16)/2023 लखनऊः दिनांक 6 दिसम्बर, 2024

विषयः स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय अन्तर्गत 05 एवं 03 टी0पी0डी0 वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) के सिविल निर्माण हेतु धनराशि का सीमा आवंटन (Limit Allocation) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी समिति की बीसवीं बैठक दिनांक 21.11.2024 के कार्यवृत्त संख्या–पी0एम0यू0/11309/547(3)/2023 दिनांक 28.11.2024 के एजेण्डा बिन्दु–8 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) के सिविल निर्माण कार्य हेतु 5 टी0पी0डी0 के 24 यूनिट एवं 3 टी0पी0डी0 के 21 यूनिट हेतु निकायों को धनराशि का सीमा आवंटन (Limit Allocation) किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में, तालिका में उल्लिखित निकायों को 05 एवं 03 टी0पी0डी0 वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) के सिविल निर्माण हेतु कॉलम संख्या–6 में अंकित कुल धनराशि रू0 1698.57 लाख (रू0 सोलह करोड़ अठठान्वे लाख सत्तावन हजार मात्र) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद से स्टेट मिशन डायरेक्टर (नगरीय) के पदनाम से खुले आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के सिंगल नोडल खाता संख्या–104801002865 आई0एफ0एस0 कोड–ICIC0001048 से सीमा आवंटन (Limit Allocation) निम्नांकित तालिका के विवरण के आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है।

तालिका

Sl No.	District	Ulbs	Account No.	Approved Unit (TPD)	Total Fund Transfer (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6
1	Jaunpur	Rampur (NP)	104801005059	5	39.88
2	Sant Kabir Nagar	Maghar (NP)	104801003823	5	39.88
3	Maharajganj	Siswa Bazar (NPP)	104801004029	5	39.88
4	Aligarh	Madrak (NP)	104801004487	5	39.88
5	Raebareilly	Unchahar (NP)	104801004145	5	39.88
6	Firozaband	Makkhanpur (NP)	104801004517	5	39.88
7	Shahjahanpur	Powanwaya (NPP)	104801003877	5	39.88
8	Saharanpur	Rampur Maniharan (NP)	104801004913	5	39.88
9	Sant Kabir Nagar	Belhar Kalan (NP)	104801003817	5	39.88
10	Saharanpur	Nanauta (NP)	104801004911	5	39.88
11	Aligarh	Chandaus (NP)	104801004485	5	39.88
12	Maharajganj	Nautanwa (NPP)	104801004025	5	39.88
13	Aligarh	Khair (NPP)	104801003661	5	39.88
14	Balarampur	Balrampur (NPP)	104801004939	5	39.88
15	Balarampur	Balrampur (NPP)	104801004939	5	39.88
16	Agra	Fatehpur Sikri (NPP)	104801002848	5	39.88
17	Hardoi	Mallawan (NPP)	104801004771	5	39.88
18	Moradabad	Bhojpur Dharampur (NP)	104801004295	5	39.88
19	Shahjahanpur	Khutar (NP)	104801004681	5	39.88
20	Siddharth Nagar	Badhni Bazar (NP)	104801003843	5	39.88
21	Ayodhya	Bikapur (NP)	104801003697	5	39.88
22	Bareilly	Nawabganj (NPP)	104801004663	5	39.88
23	Hathras	Sikandra rao (NPP)	104801004523	5	39.88
24	Bulandsahar	Jahangirabad (NPP)	104801004331	5	39.88
25	Jalaun	Kotra (NP)	104801004449	3	35.32
26	Ghazipur	Sadat (NP)	104801004219	3	35.32
27	Azamgarh	Mahul (NP)	104801003761	3	35.32
28	Agra	Pinahat (NP)	104801002854	3	35.32
29	Firozaband	Fariha (NP)	104801003649	3	35.32

Scanned with OKEN Scanner

30	Agra	Bah (NPP)	104801002846	3	35.32
31	Basti	Gayghat (NP)	104801003811	3	35.28
32	Hardoi	Mallawan (NPP)	104801004771	3	35.32
33	Meerut	Lawar (NP)	104801004395	3	35.32
34	Mau	Adari (NP)	104801004645	3	35.26
35	Aligarh	Pisawan (NP)	104801003669	3	35.32
36	Mathura	Farah (NP)	104801003625	3	35.32
37	Unnao	Bhagwantnagar (NP)	104801004173	3	35.32
38	Hathras	Mendu (NP)	104801003679	3	35.15
39	Agra	Achnera (NPP)	104801002840	3	35.32
40	Agra	Jagner (NP)	104801002842	3	35.32
41	Pilibhit	Kalinagar (NP)	104801005083	3	35.32
42	Bareilly	Mirganj (NP)	104801003847	3	35.32
43	Bulandsahar	Khanpur (NP)	104801004339	3	35.32
44	Bulandsahar	Chattari (NP)	104801004349	3	35.32
45	Bulandsahar	Bugrasi (NP)	104801004345	3	35.32
Total Amount (In Lakhs)					1698.57

शर्ते एवं प्रतिबन्ध :–

1. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
2. अवमुक्त धनराशि का उपभोग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश अन्य बैंक एकाउन्ट/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा, इसका रख–रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का यथाशीघ्र उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र चालू वित्तीय वर्ष में ही सामान्य वित्तीय नियमावली–2005 में निर्धारित व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार अथवा लेखा सम्बन्धी कार्य देखने वाला कर्मी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
6. धनराशि का हस्तान्तरण पी०एफ०एम०एस० पोर्टल से DSC के माध्यम से किया जायेगा। लखीमपुर

नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के संबंध में संबंधित अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धराशि का उपयोग निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाय। दिशा निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्य नही होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिये संबधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. बजट अनुभाग–8, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
8. लेखाकार, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
9. शाखा महाप्रबन्धक, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, गोमतीनगर लखनऊ।
10. पी०एफ०एम०एस० एडवाइस, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय को इस निर्देश से प्रेषित कि उनके अवशिष्ट प्रबंधन मद के खाता सं०–104801002865 से कुल धनराशि रू० 1698.57 लाख (रू० सोलह करोड़ अट्ठानबे लाख सत्तावन

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0)
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0।

सेवा में,

संबंधित अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0। (सारिणी के अनुसार)

संख्या-पी.एम.यू./107-16 /427(15)/2023 लखनऊः दिनांक 29 अगस्त, 2024

विषयः स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय अन्तर्गत 05 एवं 03 टी0पी0डी0 वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) के सिविल निर्माण हेतु धनराशि का सीमा आवंटन (Limit Allocation) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित 'राज्य स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी समिति की सत्रहवी बैठक दिनांक 12.08.2024 के कार्यवृत्त संख्या-पी0एम0यू0/10699/547(3)/2023 दिनांक 24.08.2024 के एजेण्डा बिन्दु-3 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) के सिविल निर्माण कार्य हेतु 5 टी0पी0डी0 के 7 यूनिट एवं 3 टी0पी0डी0 के 4 यूनिट हेतु निकायों को धनराशि का सीमा आवंटन (Limit Allocation) किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में तालिका में उल्लिखित निकायों को 05 एवं 03 टी0पी0डी0 वेट वेस्ट प्रोसेसिंग (पिट कम्पोस्टिंग) के सिविल निर्माण हेतु कॉलम संख्या-6 में अंकित कुल धनराशि रू0 420.44 लाख (रू0 चार करोड़ बीस लाख चौवालिस हजार मात्र) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद से स्टेट मिशन डायरेक्टर (नगरीय) के पदनाम से खुले आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के सिंगल नोडल खाता संख्या-104801002865 आई0एफ0एस0 कोड-ICIC0001048 से सीमा आवंटन (Limit Allocation) निम्नांकित तालिका के विवरण के आधार पर निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है।

तालिका

Sl No.	District	Ulbs	Account No.	Approved Unit (TPD)	Total Fund Transfer (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6
1	Mau	Amila (NP)	104801004649	5	39.88
2	Banda	Oran (NP)	104801003943	3	35.32
3	Pratapgarh	Heeraganj Bazar (NP)	104801005439	5	39.88
4	Bareilly	Aonla (NPP)	104801004659	5	39.88
5	Jaunpur	Kachgaon (NP)	104801005057	3	35.32
6	Pilibhit	Barkhera (NP)	104801005081	3	35.32
7	Mirzapur	Ahraura (NP)	104801004233	5	39.88
8	Mirzapur	Chunar (NPP)	104801004813	5	39.88
9	Mirzapur	Chunar (NPP)	104801004813	3	35.32
10	Azamgarh	Saraimeer (NP)	104801003767	5	39.88
11	Balrampur	Balrampur (NPP)	104801004939	5	39.88
Total Amount (In Lakhs)					420.44

शर्तें एवं प्रतिबन्ध :-

1. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
2. अवमुक्त धनराशि का उपभोग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों के सुसंगत प्रविधानों के अनुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश अन्य बैंक एकाउन्ट/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का यथाशीघ्र उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र चालू वित्तीय वर्ष में ही सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 में निर्धारित व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार अथवा लेखा सम्बन्धी कार्य देखने वाला कर्मी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

6. धनराशि का हस्तान्तरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से DSC के माध्यम से किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के संबंध में संबंधित अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाय। दिशा निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्य नही होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिये संबंधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. बजट अनुभाग–8, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. लेखाकार, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. शाखा महाप्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, महानगर लखनऊ।
10. पी0एफ0एम0एस0 एक्सपर्ट, स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय को इस निर्देश से प्रेषित कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद के खाता सं0–104801002865 से कुल धनराशि रू0 420.44 लाख (रू0 चार करोड़ बीस लाख चौवालिस हजार मात्र) तालिका में उल्लिखित निकायों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद के ZBSA A/C में पूर्व के सीमा आवंटन (Limit Allocate) के अतिरिक्त सीमा आवंटन (Limit Allocate) करना सुनिश्चित करें।
11. जूनियर प्रोग्रामर को निदेशालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अखिल सिंह)
सहायक निदेशक (लेखा)

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (एस0बी0एम0)
राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0।

सेवा में,

1.संबंधित नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।
2. संबंधित अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0। (सारिणी अनुसार)

संख्या-पी.एम.यू./6627/427(12)/2022 लखनऊः दिनांक 12 अक्टूबर, 2022

विषयः स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के अन्तर्गत मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी के अधिष्ठापन एवं निर्माण उपरान्त आवश्यक संयंत्र के क्रय हेतु धनराशि का सीमा आवंटन (Limit Allocation) किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय अन्तर्गत प्रत्येक निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी के अधिष्ठापन कराये जाने एवं निर्माण उपरान्त आवश्यक संयंत्र के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि निर्गत की गयी है।

राज्य स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 05.09.2022 के कार्यवृत्त संख्या-पी0एम0यू0/6576(1)/547/2022 दिनांक 26 सितम्बर, 2022 (प्रति संलग्न) द्वारा 55 निकायों में कुल 207 मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेंटर (प्रत्येक 5 टी0पी0डी0 अथवा यथाआवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार) के अधिष्ठापन (प्रति लागत रू0 3367000.00) एवं निर्माण उपरान्त आवश्यक संयंत्र (प्रति लागत रू0 1697600.00) के क्रय हेतु धनराशि का सीमा आवंटन (Limit Allocation) किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। विवरण निम्नवत् है:-

S.No	District	ULB	Account Number	Allocate MRF Unit (01 Unit = 5TDP)	Fund To be Transferred For MRF Civil Work @ 3367000	Fund To be Transferred For MRF Equipment@ 1697600	Total Fund To be Transferred (In Rs)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agra	Agra (M.Corp)	104801002802	10	33670000.00	16976000.00	50646000.00
2	Varanasi	Varanasi (M.Corp)	104801002832	10	33670000.00	16976000.00	50646000.00
3	Prayagraj	Prayagraj (M.Corp)	104801002826	10	33670000.00	16976000.00	50646000.00
4	Lucknow	Lucknow (M.Corp)	104801002834	10	33670000.00	16976000.00	50646000.00
5	kanpur	kanpur (M.Corp)	104801002818	10	33670000.00	16976000.00	50646000.00
6	Meerut	Meerut (M.Corp)	104801002822	10	33670000.00	16976000.00	50646000.00
7	Ghaziabad	Ghaziabad (M.Corp)	104801002812	10	33670000.00	16976000.00	50646000.00
8	Aligarh	Aligarh(MCorp.)	104801002804	8	26936000.00	13580800.00	40516800.00
9	Ayodhya	Ayodhya(M.Corp.)	104801002806	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
10	Bareilly	Bareilly(MCorp.)	104801002808	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
11	Firozabad	Firozabad(M.Corp.)	104801002810	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
12	Gorakhpur	Gorakhpur(MCorp.)	104801002814	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
13	Jhansi	Jhansi(MCorp.)	104801002816	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
14	Mathura	Mathura-Vrindavan(MCorp.)	104801002820	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
15	Moradabad	Moradabad(MCorp.)	104801002824	8	26936000.00	13580800.00	40516800.00
16	Saharanpur	Saharanpur(MCorp.)	104801002828	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
17	Shahjahanpur	Shahjahanpur (MCorp.)	104801002830	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
18	Mainpuri	Mainpuri (NPP)	104801003643	3	10101000.00	5092800.00	15193800.00
19	Sultanpur	Sultanpur (NPP)	104801004581	2	6734000.00	3395200.00	10129200.00
20	Azamgarh	Azamgarh (NPP)	104801003751	2	6734000.00	3395200.00	10129200.00
21	Ballia	Ballia (NPP)	104801003785	2	6734000.00	3395200.00	10129200.00

S.No	District	ULB	Account Number	Allocate MRF Unit (01 Unit = 5TDP)	Fund To be Transferred For MRF Civil Work @ 3367000	Fund To be Transferred, For MRF Equipment@ 1697600	Total Fund To be Transferred (In Rs)
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Badaun	Budaun (NPP)	104801004983	3	10101000.00	5092800.00	15193800.00
23	Basti	Basti (NPP)	104801003801	2	6734000.00	3395200.00	10129200.00
24	Gonda	Gonda (NPP)	104801003737	2	6734000.00	3395200.00	10129200.00
25	Etawah	Etawah (NPP)	104801004737	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
26	Raebareilly	Rae Bareli (NPP)	104801004141	4	13468000.00	6790400.00	20258400.00
27	Sitapur	Sitapur (NPP)	104801004151	3	10101000.00	5092800.00	15193800.00
28	Bagpat	Baraut (NPP)	104801004313	2	6734000.00	3395200.00	10129200.00
29	Bulandsahar	Bulandshahr (NPP)	104801004319	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
30	Ghaziabad	Modinagar (NPP)	104801004849	2	6734000.00	3395200.00	10129200.00
31	Hapur	Hapur (NPP)	104801004851	3	10101000.00	5092800.00	15193800.00
32	Mirzapur	Mirzapur (NPP)	104801004235	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
33	Amroha	Amroha (NPP)	104801004877	4	13468000.00	6790400.00	20258400.00
34	Sambhal	Sambhal (NPP)	104801004303	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
35	Fatehpur	Fatehpur (NPP)	104801003899	3	10101000.00	5092800.00	15193800.00
36	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar (NPP)	104801004859	5	16835000.00	8488000.00	25323000.00
37	Meerut	Sardhana (NPP)	104801004375	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
38	Hardoi	Sandila (NPP)	104801004775	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
39	Saharanpur	Gangoh (NPP)	104801004897	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
40	Mathura	Kosi Kalan (NPP)	104801004501	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
41	Shahjahanpur	Tilhar (NPP)	104801004671	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
42	Amroha	Hasanpur (NPP)	104801004885	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
43	Sitapur	Laharpur (NPP)	104801004169	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
44	Badaun	Ujhani (NPP)	104801004987	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
45	Hamirpur	Rath (NPP)	104801003959	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
46	Badaun	Sahaswan (NPP)	104801004985	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
47	Bareilly	Baheri (NPP)	104801004661	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
48	Sonbhadra	Anapara (NP)	104801004821	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
49	Muzaffarnagar	Khatauli (NPP)	104801004861	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
50	Pilibhit	Bisalpur (NPP)	104801005069	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
51	Hardoi	Shahabad (NPP)	104801004119	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
52	Bareilly	Faridpur (NPP)	104801003845	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
53	Balrampur	Balrampur (NPP)	104801004939	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
54	Auraiya	Auraiya (NPP)	104801004049	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
55	Ghaziabad	Muradnagar (NPP)	104801004361	1	3367000.00	1697600.00	5064600.00
Total Amount (In Rs.)				207	696969000.00	351403200.00	1048372200.00

तत्क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद से 55 नगरीय निकायों को कॉलम सं0–5 के सापेक्ष 207 मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी के अधिष्ठापन हेतु कॉलम सं0–6 में निहित धनराशि रू0 696969000.00 (रू0 उन्हत्तर करोड़ उन्हत्तर लाख उन्हत्तर हजार मात्र) एवं निर्माण उपरान्त आवश्यक संयंत्र क्रय किये जाने हेतु कॉलम सं0–7 में निहित धनराशि रू0 351403200.00 (रू0 पैंतिस करोड़ चौदह लाख तीन हजार दो सौ मात्र) कॉलम सं0–8 में अंकित कुल धनराशि रू0 1,04,83,72,200.00 (रू0 एक अरब चार करोड़ तिरासी लाख बहत्तर हजार दो सौ मात्र) स्टेट मिशन डायरेक्टर (नगरीय) के पदनाम से खुले आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के सिंगल, नोडल खाता संख्या–104801002865 आई0एफ0एस0 कोड–ICIC0001048 से सारिणी के कॉलम संख्या–4 के सापेक्ष निकाय के स्वच्छ भारत मिशन योजना के खाते में निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सीमा आवंटन (Limit Allocation) किया जा रहा है:–

शर्ते एवं प्रतिबन्ध :-

1. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
2. अवमुक्त धनराशि का उपभोग आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन की गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश अन्य बैंक एकाउन्ट/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा, इसका रख-रखाव भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का यथाशीघ्र उपभोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र चालू वित्तीय वर्ष में ही सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 में निर्धारित व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार अथवा लेखा सम्बन्धी कार्य देखने वाला कर्मी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
6. धनराशि का व्यय पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से DSC के माध्यम से ही किया जायेगा।

विशेष निर्देशः-

निम्न विन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा-

1- उक्त वर्णित निकायों में भेजी जाने वाली धनराशि से विवाद रहित भूमि के चिन्हांकन उपरान्त आगामी 02 माह में मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सिविल निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाय एवं सिविल निर्माण उपरान्त ही उसके संचालन हेतु आवश्यक संयंत्र का क्रय शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10084/नौ-5-2021-172 सा/2019 दिनांक 25-08-2021 द्वारा गठित क्रय समिति के अनुमोदन उपरान्त क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

2- मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी हेतु निर्गत धनराशि से अधिष्ठापन कार्य एवं संचालन यथा आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पूर्ण कराया जायेगा।

3- नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त एवं नगर निगम के अतिरिक्त अन्य निकायों में प्रगति हेतु जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय एम0आर0एफ0 की प्रगति एवं उक्त का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

4- समस्त आवश्यक संयंत्रों का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से राज्य मिशन निदेशालय द्वारा निर्गत न्यूनतम विशिष्टियों के अनुरुप किया जाएगा।

नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाय। दिशा-निर्देशों से हटकर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिये संबधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

भवदीया,

(नेहा शर्मा)
राज्य मिशन निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7. बजट अनुभाग-8, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. लेखाकार, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. पी0एफ0एम0एस0 एक्सपर्ट, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय निदेशालय को उक्तानुसार सीमा आवंटन **(Limit Allocation)** की कार्यवाही करने हेतु।
10. शाखा महाप्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, महानगर लखनऊ को इस निर्देश से प्रेषित कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद के खाता सं0-104801002865 से धनराशि **रू0 1,04,83,72,200.00 (रू0 एक अरब चार करोड़ तिरासी लाख बहत्तर हजार दो सौ मात्र)** उपरोक्त तालिका में उल्लिखित निकाय के ठोस

कार्यालय आदर्श नगर पालिका परिषद, बलरामपुर

पत्रांक– 1408 /न0पा0परि0(बल0)/2024–25 दिनांक 17.03.2025

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक,
राज्य मिशन निदेशालय,
स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय, उ0प्र0।
सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

विषय– स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के अन्तर्गत वार्ड नं0–09 भगवतीगंज उत्तरी(गेल्हापुर बगिया) में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट स्थापना एवं संचालन हेतु तैयार की गयी डी0पी0आर0 की वैटिंग कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि निकाय की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या–108000 है और निकाय से प्रतिदिन 32 एम0टी0 ठोस अपशिष्ट का जनरेशन हो रहा है, मगर उक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण की कोई व्यवस्था, निकाय के पास उपलब्ध नही है। इस हेतु निकाय की आवश्यकता के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट की स्थापना और संचालन हेतु इम्पैनल्ड एजेन्सी मेसर्स नवीन आरकेट्रेक्ट गाजियाबाद से डिटेल्ड डी0पी0आर0 तैयार करायी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि निकाय में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापना एवं संचालन हेतु तैयार की गयी डी0पी0आर0, का परीक्षण कराकर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

17.03.2025
(लाल चन्द मौर्य)
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

(डा0 धीरेंद्र प्रताप सिंह 'धीरू')
अध्यक्ष
आदर्श नगर पालिका परिषद,
बलरामपुर।

Received
26/03/25

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम(नगरीय), बलरामपुर

मा. राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–433/2022, Pateshwari Prasad Singh Vs State of U.P. व अन्य में दिये गये निर्देशों के कम में दिनांक 27.03.2025 को जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न सुआंव नदी के जीर्णोद्धार हेतु जिला गंगा समिति की बैठक का कार्यवृत्त की अनुपालन आख्याः

बिन्दु	कार्यवृत्त	अनुपालन आख्या
2	दिनांक 18.02.2025 को बैठक में सुआंव नदी जीर्णोद्धार हेतु नदी पर बनने वाले STP लगवाये जाने के लिए भूमि के चिन्हीकरण/पैमाईश की कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश अधिशासी अभियन्ता जल निगम बलरामपुर को दिये गये थे जिस पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद व जल निगम, बलरामपुर द्वारा अवगत कराया कि STP निर्माण हेतु भूमि का निरीक्षण लेखपाल द्वारा कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। तदकम में जिलाधिकारी बलरामपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम बलरामपुर को निर्देशित किया गया कि केवल पत्राचार का दायित्वों से विमुख प्रकरण की महत्वता के दृष्टिगत स्वयं संज्ञान लेते हुए तत्काल STP लगवाये जाने के लिए भूमि के चिन्हीकरण/पैमाईश की कार्यवाही सुनिश्चित करें।	स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कार्यकम के अर्न्तगत STP निर्माण एवं आई0एन्ड डी0 वर्क इत्यादि कार्य हेतु नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है भूमि चिन्हांकन एवं पैमाईश की प्रकिया खण्डीय सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर द्वारा तहसील सदर बलरामपुर के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क कर करायी जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
बलरामपुर

संख्या -41/939

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर

पत्रांकः– 355 /स0ड्रे0ख0–2/एन0जी0टी0/ दिनांक 07/04 /2025

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा सुवावं नदी के फलड प्लेन जोन निर्धारण करने के बावत निर्देश के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 3630/29–1/दिनांकः–29.03.2025

प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग, बलरामपुर।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फ्लड प्लेन जोन निर्धारण हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण कर उसका डेम डाटा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रूड़की, उत्तराखण्ड को प्रेषित कर दिया गया है एवं सुवावं नदी में जलकुम्भी की साफ सफाई हेतु उसका प्राक्कलन तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवंश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर

पत्रांकः– 355 /स0ड्रे0ख0–2/एन0जी0टी0/ दिनांक –07/04/2025

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा सुवावं नदी के फलड प्लेन जोन निर्धारण करने के बावत निर्देश के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 3630/29–1/दिनांकः–29.03.2025

प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग, बलरामपुर।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फलड प्लेन जोन निर्धारण हेतु सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा सर्वेक्षण कर उसका डेम डाटा नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रूड़की, उत्तराखण्ड को प्रेषित कर दिया गया है एवं सुवावं नदी में जलकुम्भी की साफ सफाई हेतु उसका प्राक्कलन तैयार कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता,
सरयू ड्रेनेज खण्ड–2, बलरामपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम(नगरीय), बलरामपुर

पत्रांक 317 / कार्य-91 / 28 दिनांकः 07.04.2025

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक),
बलरामपुर।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 325 दिनांक 07.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के अनुपालन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के निर्देशों के क्रम में अनुपालन निम्नवत है।

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय 2.0 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के Co-Treatment कार्य हेतु दो बार निविदा आमंत्रित की गयी परन्तु दोनों बार निविदा के शर्तो के अनुरूप उचित संख्या में निविदायें न प्राप्त होने के कारण निविदा निरस्त की गई एवं उक्त कार्य हेतु तृतीय बार निविदा आमंत्रित की जा चुकी हैं। निविदा खुलने का दिनांक 07.04.2025 है।
2. बलरामपुर नगर पालिका परिषद प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.टी.पी. निर्माण एवं सीवर लाइन बिछाये जाने सम्बन्धी कार्यो की स्वीकृत धनराशि रु. 12376.32 लाख के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि रु. 80.35 करोड़ का शत प्रतिशत उपभोग प्रमाण–पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या 246/कार्य–91/18 दिनांक 07.03.2025 द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर को प्रेषित किया जा चुका है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षरित कर मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर को प्रेषित किया जा चुका है।
3. एस.बी.एम. 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.टी.पी. निर्माण एवं आई.एन.डी. वर्क इत्यादि कार्यो हेतु नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, भूमि चिन्हांकन एवं पैमाइश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त डी0पी0आर0 प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय

(आर0 के0 यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– श्री वैभव पटेल एवं श्री विश्वास कश्यप, सहायक अभियन्ता खण्डान्तर्गत।

अधिशासी अभियन्ता

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)
बलरामपुर।

पत्रांक 08 /अ0सं0क0–एम0एस0डी0पी0–एस0टी0पी0/2025, दिनॉक 04 अप्रैल, 2025

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 पाटेशवरी प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.02.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–325, दिनॉक 07 मार्च, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–433/2022 पाटेशवरी प्रसाद सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.02.2025 की अनुपालन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत जनपद मुख्यालय बलरामपुर में सीवर लाईन (एस0टी0पी0) की स्थापना के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रस्तुत हैः–

1– उक्त योजना अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार की 12वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनॉक 18.01.2019 एवं 31.03.2019 में जनपद मुख्यालय बलरामपुर में सीवर लाईन (एस0टी0पी0) की स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया।

2– उक्त योजना में कन्सट्रकशन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (सी0 एण्ड डी0एस0)वि0/यान्त्रिक नलकूप विग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया।

3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) बलरामपुर के पत्र सं0–987, दिनॉक 14.08.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में कार्यालय के पत्र सं0–582, दिनॉक 21.11.2024 द्वारा नगर पालिका परिषद, बलरामपुर में सीवरेज सिस्टम एवं एस0टी0पी0 निर्माण कार्य (फेज–1) हेतु अवशेष धनराशि रू0 4641.12 लाख अवमुक्त कराने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है।

4– जिलाधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या–623, दिनॉक 13.12.2024 के क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–3970, दिनॉक 17.12.2024 द्वारा प्रबन्धनिदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को पत्र प्रेषित करते हुए एस0टी0पी0 निर्माण कार्यो की थर्ड पार्टी संस्था आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा की गयी जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए सम्बन्धित थर्ड पार्टी संस्था से सत्यापन भी कराते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय) बलरामपुर ने अपने पत्र संख्या–170, दिनॉक 18.02.2025 द्वारा एस0टी0पी0 निर्माण कार्यो की थर्ड जॉच में पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए पुनः आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा दिनॉक 13.02.2025 को सत्यापन करा लिया गया है।

5– उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि प्रकरण में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0–4592, दिनॉक 10.02.2025 द्वारा रू0 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है जिसका कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण उपभोग करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय

04/04/25

(यशवंत मौर्य)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बलरामपुर

पृष्ठॉकन संख्या व दिनॉक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बलरामपुर

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय,उ0प्र0,
620–इन्दिरा भवन,लखनऊ।

पत्रांकः4592 / अ.सं.क.नि. / पी.एम.जे.वी.के. / एस.एन.ए.(346)टी0सी0 / 2024 दि0 10/02/,2025

कार्यालय आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–01 के शासनादेश / वित्तीय स्वीकृति आदेश संख्या 01 / 2025 / 64 / 52–1–2025–13 (पी0एम0जे0वी0के0) / 2019 दिनांक 06.02.2025 द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (सी0एण्ड डी0एस0) नलकूल विंग को जनपद बलरामपुर की निम्न तालिका के स्तम्भ–5 में उल्लिखित परियोजना हेतु रू0 तीन करोड़ की धनराशि आवंटित करते हुए योजना के एस0एन0ए0 खाते के पूल फण्ड से आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विवरण निम्नवत है:–

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था	जनपद का नाम	शासनादेश संख्या / दिनांक	परियोजना का नाम	शासन स्तर से स्वीकृत धनराशि (लाख रु0 में)			शासन / निदेशालय स्वीकृति आदेश एवं दिनांक
					के0	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (सी0एण्ड डी0एस0) नलकूल विंग	बलरामपुर	संख्या 01 / 2025 / 64 / 52–1 –2025–13 (पी0एम0जे0वी0के0) / 2019 दिनांक 06.02.2025	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान	150.000	150.000	300.00	01/2025/64/52-1-2025-13 दि0 06-02-2025 (शासन)
				योग	150.000	150.000	300.00	

उक्त परियोजना हेतु एस0एन0ए0 खाते के पूल फण्ड से स्वीकृत की गयी केन्द्रांश / राज्यांश की कुल धनराशि 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (सी0एण्ड डी0एस0) नलकूल विंग के इण्डियन बैंक के जीरो बैलेंस सब्सिडियरी खाता संख्या 7140193104 हेतु लिमिट का निर्धारण किया जाता है।

कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर निर्धारित की गयी उक्तानुसार लिमिट का व्यय, शासन एवं निदेशालय द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं हेतु निर्गत पूर्व / वर्तमान, शासनादेशों / आवंटन / आहरण / स्वीकृति आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। एस0एन0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि में किसी प्रकार के दोहराव / अनियमितता / दुरुपयोग हेतु कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(अंकित कुमार अग्रवाल)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, (सी0एण्ड डी0एस0) नलकूल विंग, जलनिगम (शहरी)
3. जिलाधिकारी जनपद बलरामपुर।
4. शाखा प्रबन्धक, इण्डियन बैंक हजरतगंज लखनऊ।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बलरामपुर।

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम(नगरीय), बलरामपुर

निकट–संतोषी माता मन्दिर, नार्मल स्कूल पानी टंकी, जनपद–बलरामपुर।

E-mail ID- ee_cd_balrampur@yahoo.co.in

पत्रांक : 170 / कार्य–91 / 13 दिनांक– 18.02.2025

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक,
निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं,
वि. / यॉ. नलकूप विंग, उ.प्र. जल निगम(नगरीय),
लखनऊ।

विषयः <u>प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती नाम एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में निर्माणाधीन एस.टी.पी. सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य में थर्ड पार्टी निरीक्षण आख्या में आई.आई.टी. कानपुर की रिपोर्ट में पायी गयी कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि खण्ड द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर में बलरामपुर नगर पालिका परिषद सीवरेज सिस्टम फेज–1 के निर्माण कार्यो को कराया रहा है। उक्त योजना के कार्यो हेतु अवमुक्त धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग प्रमाण–पत्र खण्ड कार्यालय के पत्रांक 305 / कार्य–91 / 21 दिनांक 23.03.2024 द्वारा प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर ने अपने पत्रांक 204 / अ.सं.क. / पी.एम.जे.वी.के. / 2024–25 दिनांक 26.06.2024 द्वारा आई.आई.टी. कानपुर के माध्यम से कराई गई जांच में पाई गई कमियों के निस्तारण उपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 620–इन्दिरा भवन, लखनऊ को प्रेषित किया गया था। उक्त के क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 620–इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 3215 / अं.सं.क.नि. / पी.एम.जे.वी.के. / उ.प्र.प.–1609 / 2024 दिनांक 21.10.2024 जो प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), लखनऊ को सम्बोधित है, के क्रम में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर द्वारा अपने पत्रांक 623 / अ.सं.क. / पी.एम.जे.वी.के. / 2024–25 दिनांक 13.12.2024 एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर के पत्रांक 626 / अ.सं.क. / पी.एम.जे.वी.के. / 2024–25 दिनांक 17.12.2024 के माध्यम से थर्ड पार्टी जांच में पायी गई कमियों के निराकरण के सत्यापन सम्बन्धित जांच आई.आई.टी. कानपुर द्वारा कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए। उक्त के अनुपालन में पत्रांक 1394 / कार्य–91 / 166 दिनांक 20.12.2024 एवं पत्रांक 24 / कार्य–91 / 01 दिनांक 08.01.2025 द्वारा आई.आई.टी. कानपुर से थर्ड पार्टी जांच में पायी गई कमियों के निराकरण के सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया। तत्क्रम में आई.आई.टी. कानपुर द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या के सापेक्ष सत्यापन किया गया, जिसकी रिपोर्ट आई.आई.टी. कानपुर द्वारा दिनांक 13.02.2025 को प्रेषित की गई। कार्यकारी अंश इस प्रकार है– **"The implementation of the measures suggested for quality of the works undertaken is satisfactory"**

उक्त रिपोर्ट संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करनें की कृपा करें।

भवदीय

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(आर.के. यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ.सं. एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, 620–इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बलरामपुर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता।

अधिशासी अभियन्ता

Sewer Letter/S.K.V.

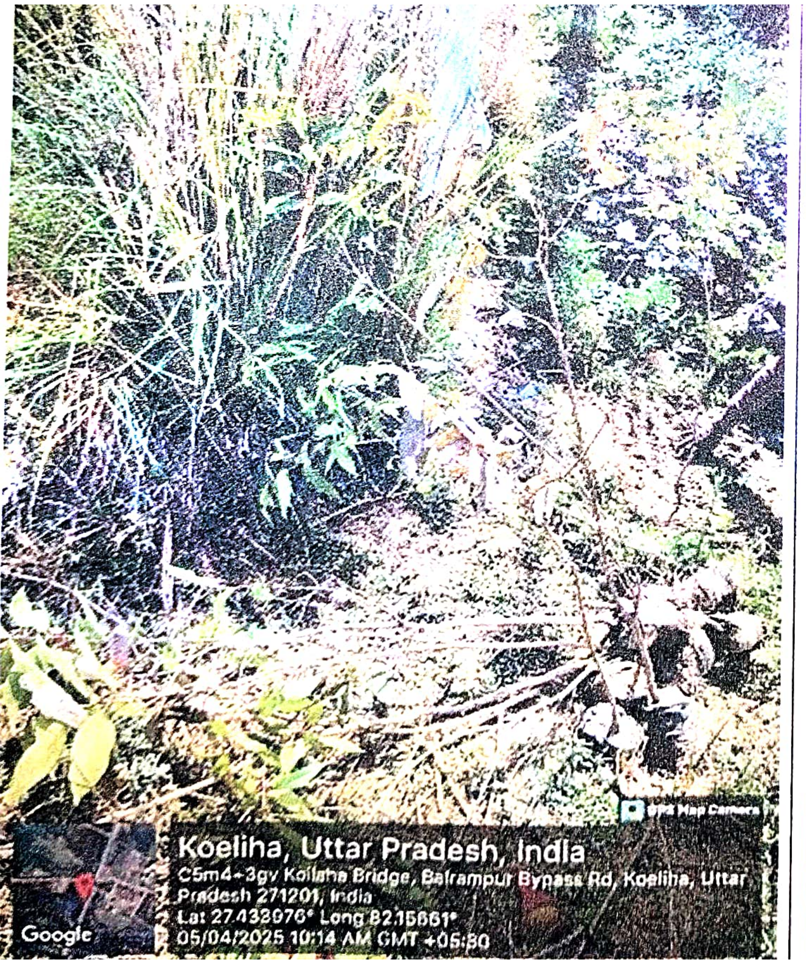
GPS Map Camera
Koeliha, Uttar Pradesh, India
C5m4+3gv Koilaha Bridge, Balrampur Bypass Rd, Koeliha, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.438976° Long 82.15661°
05/04/2025 10:14 AM GMT +05:30
Google

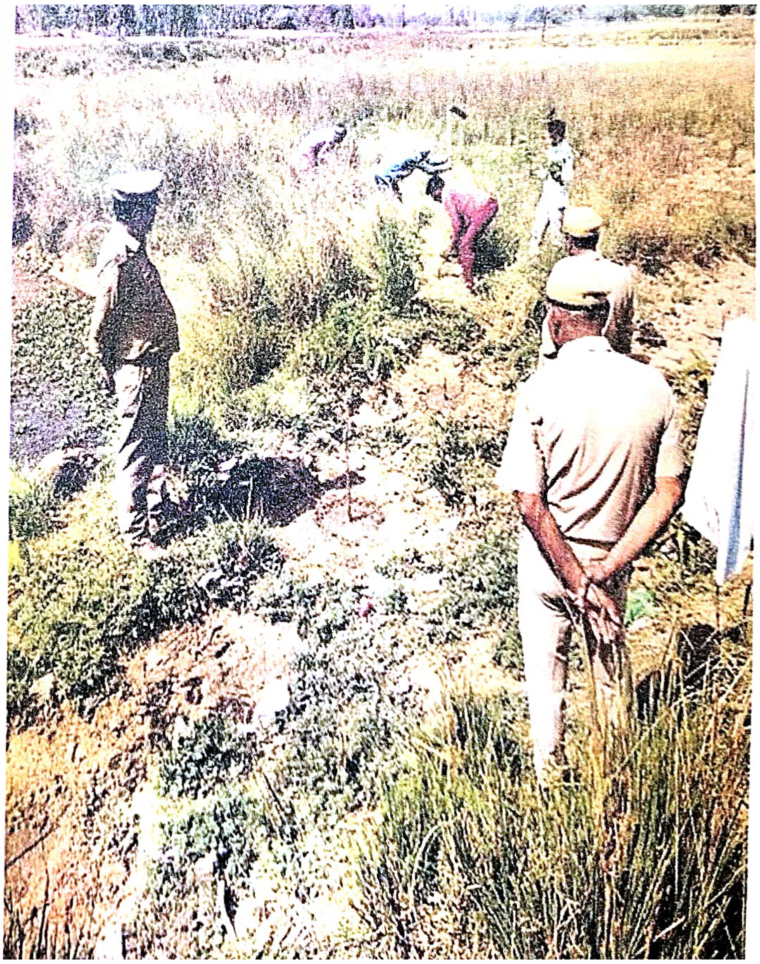

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन न0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02. 2025 में दिए गऐ निर्देशो के सम्बंन्ध कम में आख्या–

सुआंव नदी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा नदी की दोनों पटरियों पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देश दिया गया, जिसके कम में वन विभाग को वृक्षारोपण अभियान के अर्न्तगत वर्ष 2025–26 में लगभग 38,95,400 पौधो के सापेक्ष लगभग 5000 पौधों के वृक्षारोपण हेतु सर्वे कर लिया गया है सर्वे के दौरान सुआव नदी किनारें पर कई जगहों को जों निम्न प्रकार है अडार पाकर, हसुआ डोल, कौलारा, रेणुकानाथ मंन्दिर के पास सुआव नदी क्षेत्र में, सुआव पुल खमौआ गावं के पास एवं नगरीय क्षेत्र में मियावाकी वृक्षारोपण हेतु चिन्हित किया गया है चिन्हित स्थलों में ग्राम सभा विशुनापुर के ग्राम खमौआ में दो जगहों में से सुआव पुल खमौआ गावं के पास वृक्षारोपण कराया गया जिसकी कुछ छलंकियॉ–

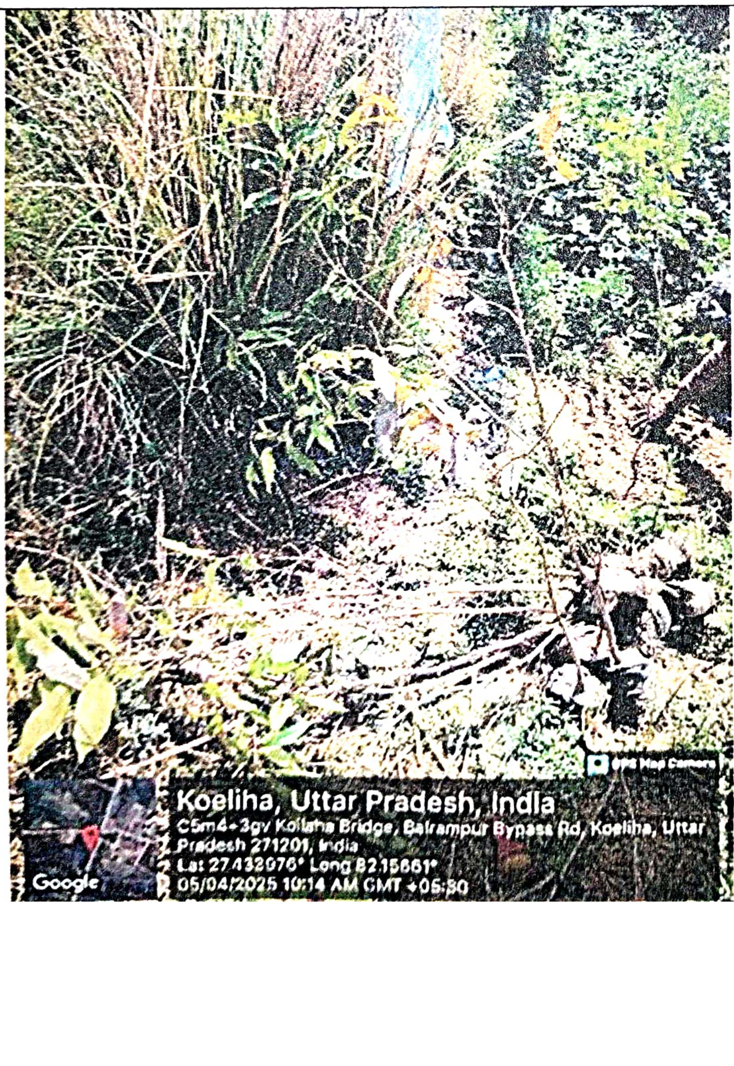

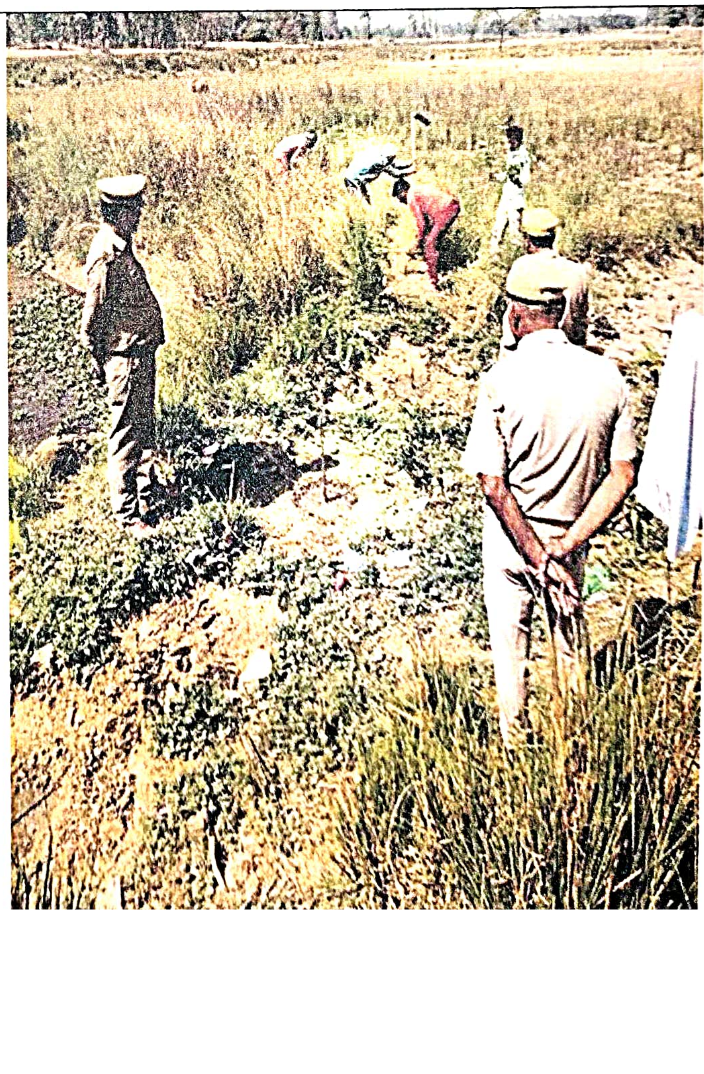

Koeliha, Uttar Pradesh, India
C5m4+3gv Koilaha Bridge, Balrampur Bypass Rd, Koeliha, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.433958° Long 82.156606°
05/04/2025 10:14 AM GMT +05:30
Google

Koeliha, Uttar Pradesh, India
C5m4+3gv Koilaha Bridge, Balrampur Bypass Rd, Koeliha, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.433966° Long 82.156614°
05/04/2025 10:14 AM GMT +05:30
Google

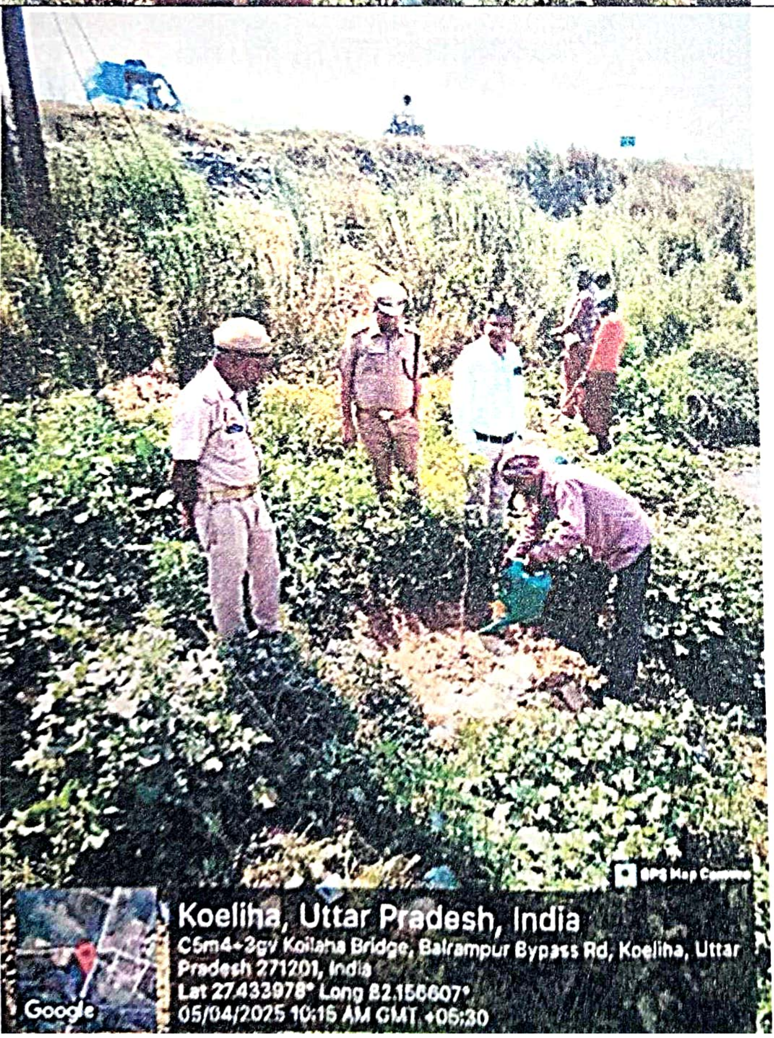
Koeliha, Uttar Pradesh, India
C5m4+3gv Koilaha Bridge, Balrampur Bypass Rd, Koeliha, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.433978° Long 82.156607°
05/04/2025 10:15 AM GMT +05:30
Google

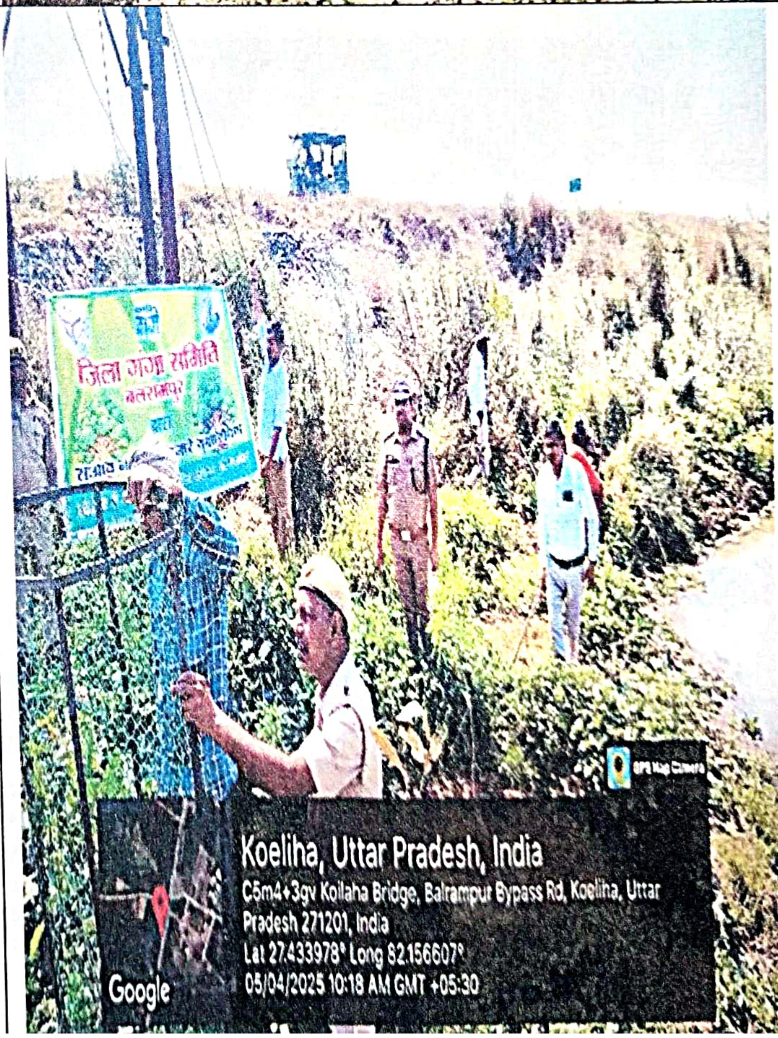
जिला गंगा समिति
Koeliha, Uttar Pradesh, India
C5m4+3gv Koilaha Bridge, Balrampur Bypass Rd, Koeliha, Uttar Pradesh 271201, India
Lat 27.433978° Long 82.156607°
05/04/2025 10:18 AM GMT +05:30
Google

सुआंव नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण तक नए निर्माण पर रोक

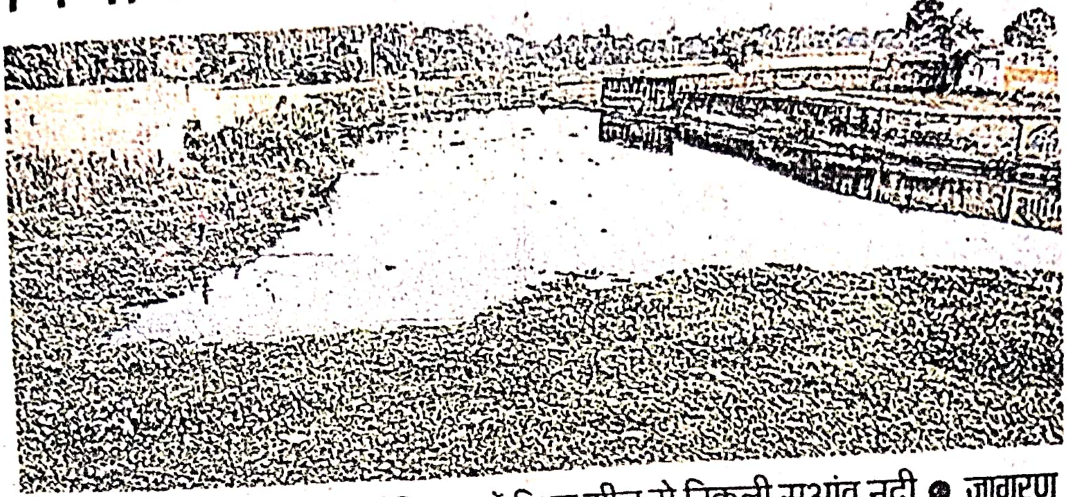

बलरामपुर व श्रावस्ती सीमा के गोपियापुर में स्थित झील से निकली सुआंव नदी • जागरण

जासं • बलरामपुरः सुआंव नदी के फ्लड प्लेन जोन (बाढ़ समतल क्षेत्र) निर्धारण तक नगर पालिका सीमा में 200 मीटर और नगर पालिका सीमा से बाहर 500 मीटर की दूरी पर नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। निर्धारित दूरी पर अवैध निर्माण किये जानें पर उक्त के विरुद्ध जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी पवन अग्रवाल के रोक लगाने के बाद अब नए निर्माण का मानचित्र भी नहीं स्वीकृति किया जाएगा। इस निर्णय के बाद सुआंव नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आवासीय प्लाटिंग करने वाले भी सकते में हैं।

सुवांव नदी बलरामपुर एवं श्रावस्ती सीमा के ग्राम गोपियापुर में स्थित एक झील से निकलती है। यह राप्ती की मुख्य सहायक नदी है। सुआंव नदी बेसिन का क्षेत्रफल 320.61 वर्ग किमी व लंबाई 120 किमी है। सुआंव नदी 94.500 किमी तक ग्रामीण क्षेत्र में, 94.500 से 100.600 किमी शहरी क्षेत्र में व 100.600 से 120.00 किमी तक पुनः ग्रामीण क्षेत्र में प्रवाहित है जो कई झीलों को जोड़ते हुए ग्राम शेखरपुर, कोयलरा, बंजरहा, अजगरी, विशुनपुर,

200 और बाहर 500 मीटर की दूरी तक निर्माण करने वाले पर होगी कार्रवाई

हसुआडोल, छितरपारा, कैथोलिया, सलेमपुर, पिपराराम, मोहम्मदपुर टेगनहवा, करमहिया, इटईरामपुर, गगनीजोत आदि होते हुए बलरामपुर व सिद्धार्थनगर की सीमा पर स्थित ग्राम रसूलाबाद के पास राप्ती में मिलती है।

इसका कैचमेंट क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण से जब भी वर्षा होती है तो नदी के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो जाती है। इससे नदी में पानी का दबाव बढ़ने से तटबंध न होने की वजह से इसके अगल-बगल के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे जनधन की भारी हानि होती है।

-राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में डीएम जिला मजिस्ट्रेट पवन अग्रवाल ने सुआंव नदी के फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण होने तक नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन न0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 में दिए गये निर्देशो के कम में प्रेस विज्ञप्ति

सुवांव नदी जनपद बलरामपुर एवं श्रावस्ती के बार्डर के ग्राम गोपियापुर में स्थिति एक झील से निकलती है यह राप्ती नदी की मुख्य सहायक नदी है। सुआव नदी बेसिन का क्षेत्रफल–320.61 वर्ग कि.मी. एवं लम्बाई 120 कि.मी. है। सुआव नदी कि0मी0 0.00 से कि0मी0 94.500 तक ग्रामीण क्षेत्र में, कि0मी0 94.500 से कि0मी0 100.600 तक शहरी क्षेत्र में तथा कि0मी0 100.600 से कि0मी0 120.00 पुनः ग्रामीण क्षेत्र में प्रवाहित जो कई सारे झीलों को जोडते हुए ग्राम हसुआ डोल, शेखरपुर, कोयलरा, विशुनपुर, छितरपारा, कैथोलिया, सलेमपुर, पिपराराम, अजगरी, मोहम्मदपुर बन्जरहा, टेगनहवा, करमहिया, इटईरामपुर गगनीजोत आदि होते हुए जनपद बलरामपुर एवं जनपद–सिद्वार्थनगर के सीमा पर स्थित ग्राम रसूलाबाद के पास राप्ती नदी मे मिलती है।

इसका कैचमेन्ट क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अतिकमण की वजह से जब भी वर्षा होती है तो नदी के जल स्तर में अचानक वृद्वि हो जाती है। जिससे अचानक नदी में पानी का दबाव बढ़ने से तटबन्ध ना होने की वजह से इसके अगल–बगल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा जन धन की भारी मात्रा में हानि होती है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओरिजिनल एप्लीकेशन न0–433/2022 पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.02.2025 के प्रस्तर सं0–9 का सुसंगत अंश निम्नवत हैः –

9. In view of above discussed facts and circumstances, we also direct the District Magistrate, Balrampur to get sign boards fixed through concerned department at appropriate places with name of river Suav and its origin and length. We also direct the District Magistrate, Balrampur to publish notice in local newspaper prohibiting new constructions within the distance of 200 meters in municipal limit and 500 meters outside municipal limit from the edge of the Suav river till FFZ is notified to prevent future encroachments.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के उक्त निर्देशो के कम में सुआंव नदी के फ्लड प्लेन जोन निर्धारण तक नगरपालिका सीमा में 200 मीटर और नगरपालिका सीमा से बाहर 500 मीटर की दूरी पर नए निर्माण पर रोक लगाई जाती है। नगरपालिका सीमा में 200 मीटर और नगरपालिका सीमा से बाहर 500 मीटर की दूरी पर अवैध निर्माण किये जानें पर उक्त के विरूद्ध जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्यवाही प्रचलित की जायेगी ।

(पवन अग्रवाल)
जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर।

पत्रांक :– 3760 /29–1 दिनॉक 08 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर ।
2– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बलरामपुर।
3– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बलरामपुर।
4– उपजिलाधिकारी बलरामपुर एवं उतरौला, जनपद बलरामपुर।
5– अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बलरामपुर/उतरौला, जनपद बलरामपुर।
6–जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को स्थानीय अखबार में दो दिवस में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

o/c

980

सख्ती

नगर सीमा में 200 मीटर और बाहर 500 मीटर की दूरी पर होगा निर्माण कार्य

सुआंव नदी के फ्लड जोन में निर्माण पर लगी रोक

संवाद न्यूज एजेंसी

बलरामपुर। सुआंव (सुभाषिनी) नदी के फ्लड जोन में निर्माण पर रोक लगा दी गई है। यह रोक राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली के आदेश पर लागू की गई है। अब नगर पालिका सीमा में सुआंव नदी के पास 200 मीटर और पालिका सीमा से बाहर 500 मीटर की दूरी पर ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

डीएम पवन अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को, डीएम ने बताया कि

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर लगी रोक

एनजीटी नई दिल्ली में ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर-433/2022 में पाटेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य के मामले में यह आदेश पारित किया गया है।

सुआंव नदी के कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण जब भी वर्षा होती है। नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो जाती है। जलस्तर बढ़ने से तटबंध न होने के कारण आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे भारी जनहानि और संपत्ति का नुकसान होता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में डीएम ने सुआंव नदी के फ्लड प्लेन जोन का निर्धारण कर दिया है। इस निर्धारित सीमा में अवैध निर्माण किए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

120 किमी लंबाई तक फैली नदी

- सुआंव नदी बलरामपुर और श्रावस्ती जनपद की सीमा पर स्थित ग्राम गोपियापुर से निकलती है और यह राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। सुआंव नदी का बेसिन क्षेत्रफल 320.61 वर्ग किमी और इसकी लंबाई 120 किमी है। नदी जीरो से 94.5 किमी. तक ग्रामीण क्षेत्र, 94.5 से 100.6 किमी. तक शहरी क्षेत्र और 100.6 से 120 किमी तक फिर से ग्रामीण क्षेत्र में बहती है। यह नदी कई झीलों को जोड़ते हुए बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जनपद की सीमा पर स्थित ग्राम रसूलाबाद के पास राप्ती नदी में मिलती है।

981

my city

अमर उजाला

सूर्योदय सुबह 5.49
सूर्यास्त शाम 6.27
स्थानीय समयानुसार

38° temperature 26°

लखनऊ | बुधवार | 09.04.2025
चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी, विक्रम संवत 2082
amarujala.com /lucknow

गोंडा/बलरामपुर